सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 18/-
वार्षिक	₹ 200/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

मार्च, 2017 वर्ष 16 अंक 01

सलाम और रहमत हों लाखों नबी पर

करम तेरा मैं या ख़ुदा चाहता हूं
करूँ तेरी हमद व सना चाहता हूँ
तू माबूद यक्ता तू ख़ालिक है यक्ता
तेरे दीन पर मैं जमा चाहता हूँ
तेरा दीन सब को मिला है नबी से
दुरूद अब मैं उन पर पढ़ा चाहता हूँ
है उम्मत नबी की घिरी मुश्किलों में
मदद तेरी मुश्किल कुशा चाहता हूँ
हो मक्की हरम या कि मदनी हरम
हिफ़ाज़त मैं उन की सदा चाहता हूँ
सलाम और रहमत हों लाखों नबी पर
यह नग़मा मैं दिल से सुना चाहता हूँ

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी	03
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	05
सच्चा राही सोलहवें वर्ष में	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	07
दीने इस्लाम का मिज़ाज	ह0 मौ0सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0	10
शरीअते मुहम्मदी का इल्म	ह0 मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	12
अल्लाह के रसूल सल्ल0	मौ0 सै0 मुहम्मद हजमा हसनी नदवी	16
कामन सिविल कोड	मौलाना ख़ालिद सैफुल्लाह रहमानी	18
लौट पीछे की तरफ ऐ गरदिशे	मौ0 मुफ्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी	22
एलाने मिलकियत व अन्य	इदारा	24
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	25
दयालुता	मौलाना नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी	31
उमैय्या खलीफ़ाओं के शासन	डॉ0 रिजवान अहमद	32
हृदय रोगों का उपचार	डॉ0 आरती लालचंदानी	34
पाश्चात्य मीडिया और मुसलमान	मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी	37
उर्दू सीखिए	इदारा	40

क़ुअर्नि की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल हयी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-आले इमरानः

अनुवाद- और जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब दी गई यह वचन लिया था कि तुम उस को ज़रूर लोगों के सामने खोल–खोल कर बयान कर दोगे और उसको छिपाओगे नहीं तो उन्होंने उस को पीठ पीछे डाल दिया और उसके बदले थोड़े दाम ले लिए तो कैसा बुरा सौदा वे कर रहे हैं(187) आप हरगिज़ न सोचें जो लोग अपने किए पर खुश होते हैं और बिना किए प्रशंसा चाहते हैं आप उनके बारे में बिल्कुल यह न समझें कि वे अज़ाब से बच जाएंगे और उनके लिए तो दुखद अज़ाब है[1](188) आसमानों और ज़मीन पर बादशाही तो अल्लाह ही की है और अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य (कुदरत) प्राप्त है(189) बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात व दिन की चक्र में बुद्धि वालों के लिए (बड़ी) निशानियां हैं[2](190) जो खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर (लेटे) अल्लाह को याद करते रहते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश के बारे में विचार विमर्श करते हैं कि ऐ हमारे पालनहार! तू ने इन को यूं ही नहीं पैदा किया, तू पवित्र है[3] बस तू हमें दोज़ख़ की आग से बचा ले(191) ऐ हमारे पालनहार! तू ने जिस को भी दोज़ख़ में दाख़िल कर दिया बस तूने उसको अपमानित ही कर दिया और अत्याचारियों का कोई मददगार नहीं(192) ऐ हमारे पालनहार! बेशक हमने एक पुकारने वाले को ईमान की आवाज़ लगाते सुना कि अपने पालनहार पर ईमान ले आओ तो हम ईमान ले आए, ऐ हमारे पालनहार! बस तू हमारे पापों को माफ़ कर दे और हमारी बुराईयों को धो दे और नेकियों के साथ हमें मौत दे(193)। ऐ हमारे पालनहार! तूने अपने पैग़म्बरों के माध्यम से हम से जो भी वादा किया वह हमें प्रदान कर दे और क़यामत के दिन हमें अपमानित न कर, बेशक तू वादे के खिलाफ़ नहीं करता(194) बस उनके पालनहार ने उनकी दुआ सुन ली कि मैं तुम में से किसी कर्म करने वाले के कर्म को हरगिज़ बर्बाद न करूंगा वह मर्द हो या औरत तुम आपस में एक[4] ही तो हो बस जिन लोगों ने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरे रास्ते में सताए गए, लड़े और मारे गये उन से मैं ज़रूर उन के गुनाहों को धो दूंगा और ऐसी जन्नतों में प्रवेश करा के रहूंगा जिन के नीचे से नहरें जारी होंगी, बदले के तौर पर अल्लाह ही के पास से है और अल्लाह के पास तो बहुत अच्छा बदला है[5](195) जिन्होंने कुफ़्र किया मुल्कों में उनका चलत–फिरत हरगिज़ आपको धोखे में न डाल दे[6](196) यह थोड़ा सा मज़ा है फिर

उनका ठिकाना दोज़ख़ है और वह बहुत बुरी रहने की जगह है(197) हाँ जिन्होंने अपने पालनहार का तक़वा अपनाया उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं वे हमेशा उसमें रहेंगे, यह मेहमानी है अल्लाह के पास से और जो कुछ अल्लाह के पास है वह नेक लेगों के लिए सबसे अच्छा है(198) और बेशक किताब वालों में से ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर और जो तुम्हारी ओर उतरा और जो उनकी ओर उतरा उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के लिए उनके दिल कांपते रहते हैं, वे मामूली दाम में अल्लाह की आयतों का सौदा नहीं करते, यह वे लोग हैं कि उनका बदला उनके पालनहार के पास (सुरक्षित) है, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है(199) ऐ ईमान वालो! धैर्य रखो और मुकाबले में मज़बूती रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ[3](200)।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. वही यहूदी गलत मसले बताते, रिश्वतें खाते और अंतिम पैग़म्बर के गुणों का जो उल्लेख था वह छिपाते फिर खुश होते कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता और अपनी प्रशंसा के इच्छुक रहते।

2. चमत्कार की मांग क्या ज़रूरी है, पैग़म्बर जिसकी ओर बुलाता है यानी तौहीद की, उस की निशानियां सारे संसार में फैली हुई हैं।

3. आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह की सृष्टियों में विचार विमर्श करना वही प्रशंसनीय है जिसका परिणाम अल्लाह की पहचान और आख़िरत की चिन्ता हो, बाकी जो भौतिक़वादी इन सृष्टियों के तारों में उलझ जाएं और सृष्टा तक न पहुंचें वे चाहे कैसे ही शोधकर्ता और वैज्ञानिक कहलाएं वे कुरआन की भाषा में "उलुल अल्बाब" (बद्धि वाले) नहीं हो सकते।

4. मर्द हो या औरत किसी की मेहनत बर्बाद नहीं होती, जो काम करेगा उसका फल पाएगा, अच्छा कर्म कर के औरत भी आख़िरत के वह दर्जे प्राप्त कर सकती है जो मर्द हासिल कर सकते हैं, मर्द और औरत एक ही मानव जाति के सदस्य हैं, एक इस्लाम की बंधन में बंधे हुए हैं, सामूहिक सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित हैं तो कर्म और उनके फल में भी उनको एक ही समझा जाए।

5. यह तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है जिनके कारण अल्लाह पापों को धो देता है।

6. दुनिया में काफिरों और मुश्रिकों की शक्ति, उनके प्रदर्शन, उनकी सरकारें और सारे संसार में उनको चलते फिरते तुम्हें धोखे में न डाल दे, यह उनके लिए मात्र दुन्या में है फिर आख़िरत का अज़ाब बहुत सख़्त है।

7. सूरह के आख़िर में एक व्यापक नसीहत की गई है कि अगर दुन्या व आख़िरत में सफल होना चाहते हो तो कठिनाईयां उठा कर भी इबादत में लगे रहो, पापों से बचते रहो और इस्लाम की सीमाओं की रक्षा करते रहो और हर समय हर काम में अल्लाह से डरते रहो तो समझ लो कि तुम कामयाब हो गये। ◆◆

—प्रस्तुति—
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

किसी आदमी या पशु का नाम ले कर भर्त्सना करना हराम है:-

भर्त्सना (लानत) और कत्ल:-

हजरत अबू जैद बिन जहहाक अंसारी रज़ि0 से रिवायत है (यह अहले बैत रिजवान में सम्मिलित थे) कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो शख्स समझते बूझते हुए इस्लाम के अलावा किसी और दीन पर झूठी कसम खाये तो वह ऐसा ही है जैसा उसने कहा है और जिस ने आत्म हत्या की है कयामत में उसी से उस को अजाब दिया जायेगा और जिस चीज़ का आदमी मालिक न हो उस पर नज्र व मिन्नत नहीं और मोमिन पर भर्त्सना उस के कत्ल करने के समान है।

(बुखारी—मुस्लिम)

लानत सच्चाई के विपरीत है:-

हजरत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया सत्यनिष्ठा वाले इन्सान के लिए जायज़ नहीं कि वह लानत करने वाला बने। (मुस्लिम)

लानत करने वालों की असफलता:-

हजरत अबू दर्दा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया लानत करने वाले कयामत के दिन न किसी की सिफारिश कर सकेंगे, न गवाह बन सकेंग। (मुस्लिम)

हज़रत समुरह बिन जुंदुब रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया यह न कहो कि तुम पर अल्लाह की लानत हो, या उस का गुस्सा उतरे या दोजख नसीब हो।

(अबू दाऊद शरीफ, तिर्मिजी)

लानत मोमिन की शान के खिलाफ़ है:- हजरत इब्ने मसऊद रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ताना देने वाला, लानत करने वाला, फुहश (अशलील) बकने वाला और जुबान दराज मोमिन नहीं है। (तिर्मिजी) यानी यह मोमिन के सिफात व अखलाक में से नहीं है।

लानत स्वयं पर ही पलट आती है:- हजरत अबू दर्दा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि आदमी जब किसी को लानत करता है तो वह लानत आसमान पर जाती है, आसमान के सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो वह ज़मीन पर उतरती है और ज़मीन के दरवाज़े भी उस पर बंद हो जाते हैं, फिर वह दायें बायें फिरती है और जब कहीं वह रास्ता नहीं पाती तो जिस पर लानत की गयी थी अगर वह लानत के काबिल हुआ तो उस पर पड़ जाती है वरना फिर पलट कर उसी लानत करने वाले पर आ पड़ती है।

(अबू दाऊद)

लानत किये हुए जानवर पर सवारी करने की मनाहीः-

हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ि0 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी सफर में थे उस सफर में एक अंसारी की बीवी ऊँटनी पर सवार थीं, ऊँटनी अड़ गयी और बिल बिलाने लगी तो उन्होंने उस को लानत की, आप ने सुन लिया फरमाया कि इस ऊँटनी से सामान उतार कर उस को छोड़ दो, अब यह मल्ऊन हो गयी, हज़रत इमरान रज़ि0 कहते हैं गोया मैं आज देख रहा हूं कि वह मारी मारी फिरती है और उस से छेड़ छाड़ नहीं करता। (मुस्लिम)

हज़रत अबू बरज़ा नजला बिन अबीद अस्लमी रज़ि0 से रिवायत है कि एक लड़की ऊँटनी पर सवार थी, उस पर कुछ लोगों का सामान था उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा, पहाड़ की वजह से रास्ता तंग हो गया तो उसने ऊँटनी को झिड़क कर कहा ऐ अल्लाह इस पर लानत कर, आप ने फरमाया जिस ऊँटनी पर लानत हुई है वह हमारे साथ न रहे।

किन लोगों पर लानत करना जायज हैः- कुर्आन पाक में अल्लाह तआला फरमाता है अनुवादः *सुन लो जालिमों पर अल्लाह की लानत है।*

(सूरः हूद)

दूसरी जगह इरशाद है, उन के मध्य पुकारने वाला पुकारेगा कि जालिमों पर खुदा की लानत हो। (सूरः आराफ)

सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला उस औरत पर लानत करे जो दूसरों के बाल ले कर अपने बालों में जोड़े और उस औरत पर जो अपने बालों से और बाल जुड़वाये और आप ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने सूद खाने वाले पर और तस्वीरें बनाने वाले पर लानत फरमायी है और फरमाया अल्लाह तआला ने उस पर लानत की है जो ज़मीन की सीमायें बदल दे और फरमाया अल्लाह तआला ने उस चोर पर लानत की है जो अण्डा चुराये, और अल्लाह तआला ने उन पर लानत की है जो अपने माँ–बाप पर लानत करते हैं और अल्लाह तआला ने उस शख्स पर लानत की है जो गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह करे, और अल्लाह तआला ने उस पर लानत की है जो मदीना तैय्यबा में नई नई बात निकाले या किसी नई बात निकालने वाले को पनाह दे उस पर अल्लाह और उस के फरिश्ते और तमाम लोग लानत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ऐ अल्लाह "रिअ़ल" ज़क़वान" और "इसिय्या" पर लानत कर कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की है। (यह तीनों अरब के कबीले थे) और फरमाया यहूद पर लानत करे इसलिए कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया और आप ने उन मर्दों पर लानत की जो औरतों की मुशाबहत (एक रूपता) करते हैं और उन औरतों पर लानत की जो मर्दों जैसा रूप धारण करें।

❖❖❖

–प्रस्तुति–
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

सच्चा राही सोलहवें वर्ष में

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी

अल्लाह तआला का शुक्र और उस का करम है कि सच्चा राही ने 15 वर्ष पूरे कर लिए और इस अंक से सोलहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, अल्लाह तआला 15 वर्ष की सेवाओं को स्वीकृत प्रदान करे और आगे अच्छा लिखने अच्छी बातें पहुंचाने और अच्छी से अच्छी सेवाएं करने का सामर्थ्य दे। हम आभारी हैं अपने लेखकों के जिन्हों ने बिना किसी प्रतिफल के केवल अल्लाह को राज़ी करने तथा समाज की सेवा करने की दृष्टि से अपना बहुमूल्य सहयोग दिया, हम भविष्य में भी अपने आदरणीय लेखकों से सहयोग का अनुरोध करते हैं।

सच्चा राही का उद्देश्य यह है कि हमारे जो भाई, बहनें वर्तमान वातावरण में उर्दू भाषा के पढ़ने पर सामर्थ्य नहीं रखते यद्यपि उन की बोली बानी उर्दू है उन तक दीन की बातें पहुंचाना उनको इस्लामिक आचरण याद दिला कर तथा उनको जागरूक कर के उनको समाज को स्वच्छ बनाने पर उभारना है, इस उद्देश्य को सामने रखते हुए दो शीर्षक तो हर अंक में आते हैं "कुर्आन की शिक्षा" और "प्यारे नबी की प्यारी बातें" इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि दीनी आलिमों के लेख प्रकाशित हों परन्तु बड़े खेद की बात है कि हमारे उलमा हिन्दी में कुछ नहीं लिखते विशेष कर बड़े उलमा वह जो कुछ भी लिखते हैं वह उर्दू में लिखते हैं अतः हम उनके लेखों का हिन्दी अनुवाद कर लेते हैं या ज्यूं का त्यूं हिन्दी लिपि में लिखवा कर सच्चा राही में प्रकाशित करते हैं इस कार्य में कई सज्जन हमारा सहयोग करते हैं अल्लाह उन को बदला दे।

हमारे कुछ वुद्धि जीवी जो आलिम नहीं हैं परन्तु अच्छा लिखते हैं वह दूसरे सामाजिक विषयों पर भी लिखते हैं हम उनके आभारी हैं और उन का शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं।

दीनी जानकारी ही देने के उद्देश्य से एक शीर्षक "आप के प्रश्नों के उत्तर" का होता है जो नदवे के एक मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी के कलम से होता है, हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वह इस में भाग लें और अपने प्रश्न भेजें ताकि हमारे पाठक उनके उत्तर से लाभान्वित हों।

एक शीर्षक सच्चा राही में "उर्दू सीखिये" का होता है, यद्यपि आरम्भ में इस शीर्षक के अन्तर्गत उर्दू अक्षरों तथा शब्दों से अवगत कराया गया था परन्तु अब हिन्दी द्वारा कुछ लाभदायक उर्दू वाक्य अथवा अशआ़र प्रस्तुत किये जाते हैं। हमारे 99 प्रतिशत पाठक मुस्लिम हैं।

सच्चा राही नदवतुल उलमा की हिन्दी पत्रिका है, इसमें यदि हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाही अलैहि

के मार्ग दर्शन की कोई बात न हो तो बड़ी कमी समझी जाती है। इसी प्रकार हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नाज़िम नदवतुल उलमा दामत बरकातुहुम और नदवतुल उलमा के दूसरे बुजुर्गों के लेखों का आना आवश्यक है और यह हज़रात हिन्दी लिखते नहीं अतः उनके कुछ लेखों का रूपांतर करके या ज्यू के त्यूं हिन्दी लिपि में लिखवा कर सच्चा राही में प्रकाशित करना आवश्यक है, हमारा विश्वास है कि यदि हमारे यहां मुसलमान दीने इस्लाम को पूरी तरह अपनाएं, नमाज़ों की पाबन्दी करें, स्वच्छता तथा पवित्रता को अपनाएं, उन का पहनावा अशलीलता रहित हो, वह दाढ़ी रखें, मदिरा पान से बचें अपितु समस्त नशे वाली वस्तुओं से दूर रहें ब्याज न खाएं, घूस न लें, काम चोरी न करें, हराम न खाएं, किसी की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि न डालें, व्यभिचार से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से बचें किसी को कष्ट न पहुंचाएं, पीड़ितों का दुख दूर करने में कमी न करें, विधवाओं, अनाथों को सहयोग दें, अज्ञानता तथा जड़ता को दूर करने का प्रयास करें तो, क्या कोई है जो उनको प्यार न दे कर उनसे घृणा करेगा? कदापि नहीं ऐसे मुसलमानों को हमारे देशवासी, अपनी आंखों पर बैठाएंगे उन का मान सम्मान करेंगे, सच्चा राही ऐसे ही लोगों के समाज के निर्माण का प्रयास करता है परन्तु बड़े खेद की बात है कि हमारे बहुत से भाई इन इस्लामी आचरणों से बहुत दूर हैं, अपितु बड़े ही दुख के साथ यह सुन लेना पड़ता है कि फुलां व्यक्ति जिस का मुसलमानों जैसा नाम है या फुलां गुट तो अपने गुट का इस्लामी नाम रखे हुए है उस ने बम विस्फोट किया स्वयं अपनी आत्म हत्या की और बहुतों की अकारण जानें लीं, ऐसों की जानें लीं जो न उन से लड़े न उन को कोई कष्ट पहुंचाया। उस विस्फोट में पाप रहित बच्चे भी मारे गये और स्त्रियां भी, ऐसे लोगों का इस्लाम से क्या सम्बन्ध? इस्लाम में अकारण किसी की जान लेने को महा पाप बताया गया है। आतंकवाद का इस्लाम में कोई स्थान नहीं, सच्चा राही का उद्देश्य इस्लामिक आचरणों द्वारा समाज को उपद्रव रहित, तथा पाप रहित स्वच्छ तथा शान्तिमय समाज का निर्माण करना है, 15 वर्षों में हम इस में कितने सफल हुए यह तो हमारे पाठक ही बता सकते हैं। हमारा काम तो स्वार्थ रहित सच्चे मन से प्रयास करना है सफलता देना अल्लाह का कार्य है।

हम आरम्भ में सच्चा राही में इस्लामिक इतिहास की श्रृंखला चला चुके हैं जिसे हमारे सहायक सम्पादक जनाब मास्टर हबीबुल्लाह आज़मी मरहूम लिखा करते थे। हमारे निकट वह बड़ा लाभदायक सिलसिला था हम चाहते हैं कि कोई सज्जन फिर कलम उठाएं और हिन्दी में इस्लामी इतिहास संक्षेप में लिखें तो फिर यह

सिलसिला चलाया जाये ताकि हमारे नवयुवक जो इस्लामी इतिहास से अपरिचित हैं वह परिचित हों। हमारे भाई मास्टर मुहम्मद हसन अंसारी मरहूम जो सच्चा राही के सहायक सम्पादक थे, वह हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे वह शिक्षा विभाग में निरक्षक के पद पर थे और उससे रिटायर्ड हो चुके थे वह शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर बड़े अच्छे तथा अनुभवी लेख सच्चा राही के लिए लिखते थे। हम नव युवक विद्वानों से अनुरोध करते हैं कि जो शिक्षण सम्बन्धी ज्ञान रखते हों वह साहस करें और शिक्षण प्रशिक्षण विषयों पर लिखें उनके लेख शुक्रिये के साथ सच्चा राही में प्रकाशित किये जाएंगे और वह अल्लाह तआला की ओर से प्रतिफल पाएंगे।

इसी प्रकार हम चाहते हैं कि विज्ञान सम्बन्धी ऐसे लेख जो हमारे पाठकों को लाभ पहुंचा सकें कुछ लेखक लिखें।

उर्दू को हिन्दी में लिखने की कठिनाईयां:-

उर्दू लेखों को हिन्दी में लिखने में कुछ कठिनाइयां हैं परन्तु उन का समाधान कर लिया गया है, इस बात को हम पीछे भी किसी अंक में बयान कर चुके हैं यहां फिर दोहराना उचित लगता है। उर्दू के कुछ अक्षरों का बदल हिन्दी अक्षरों में नहीं है जैसे–ق، خ، غ، ع، ف، ح، ز इन अक्षरों को हम हिन्दी अक्षरों के इन के निकटतम स्वर वाले अक्षरों के नीचे बिन्दी रख कर लिखते हैं जैसे क़, ख़, ग़, अ़, फ़, ह़, ज़, (ز) के हम स्वर चार अक्षर हैं इन चारों को हम "ज़" से लिखते हैं ظ और ت को त से लिखते हैं, हम ص ث س को "स" से लिखते हैं। हिन्दी में मजहूल ज़ेर नहीं है जो उर्दू शब्दों में आती है उस को हम "ए" की मात्र से लिखते हैं जैसे फ़ातेह (विजई) सालेह (सदाचारी) आदि।

इन शब्दों में हम "ए" की मात्रा खींच कर नहीं पढ़ते। इन विन्दी वाले अक्षरों के स्वरों को उर्दू जानने वालों से सीखना आवश्यक है अन्यथा ग़ज़ल को गजल, ख़ौफ़ को खौफ, आ़क़िल को आकिल और हाकिम को हाकिम पढ़ेंगे। दीनी लेखों में कभी अ़रबी वाक्य भी लिखने पड़ते हैं और उन में ع के विभिन्न रूप आते हैं उनको हम इस प्रकार लिखते हैं: साकिन अ़, अ़, इन से बने अरबी शब्द जैसे बअ़्ज़ुकुम, अ़िल्मुन्, बअ़ीदुन्, अ़ुन्वानुन्, अ़ैनुन्, नअ़ूज़ु, अ़रकुन्, हिन्दी में उर्दू, अरबी के ज़बर के लिए कोई चिन्ह नही है परन्तु हिन्दी का हर अक्षर पृथक पढ़ने में ज़बर के स्वर के साथ पढ़ा जाता है।

अतः हम अरबी शब्द में जिस अक्षर पर ज़बर होता है पूरा लिखते हैं जैसे "ला इलाह इल्लल्लाहु" इसमें ह को ज़बर के स्वर से पढ़ेंगे, इसी प्रकार "ला इलाह इल्ला अन्त" इसमें (ह) और अन्त के (त) को पृथक अक्षर की भांति ज़बर के स्वर से पढ़ेंगे ज़बर के लिए हम आ की मात्रा

शेष पृष्ठ ....39 पर

दीने इस्लाम का मिज़ाज और उसकी नुमायां खुसूसियात

—हज़रत मौ0 सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0

—अनुवाद मु0 हसन अंसारी

इस्लाम में इबादत का मकामः—

अक़ायद के बाद इस्लाम में जिस चीज़ पर बड़ा ज़ोर और जिसकी ताकीद की गई है वह इबादत है। जो इन्सानों की पैदाईश का पहला मक़सद है।

तर्जुमाः *"और हमने जिन्न व इन्स को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वह इबादत करें।"*

(सूरः ज़ारियात—56)

तमाम आसमानी शरीअतों और मज़ाहिब ने अपने—अपने समय में इबादात की दावत दी है। अल्लाह के रसूल सल0 इबादात का बड़ा एहतिमाम फ़रमाते थे। इबादात के बारे में बीसों आयतें और अहादीस आई हैं। कुर्आन जेहाद व हुकूमत को वसीला और नमाज़ को मक़सद बताता है। इरशाद होता है।

तर्जुमाः *यह वह लोग हैं कि अगर हम इनको मुल्क में दस्तरस दें तो नमाज़ पढ़ें, और ज़कात अदा करें, और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों में अंजाम खुदा ही के इख़्तियार में है। (सूरः हज—41)*

कुर्आन पर एक नज़र डालने से मालूम होता है कि अल्लाह से तअल्लुक़ उस की बन्दगी और इबादात (नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज) वह चीज़ें हैं जिन के बारे में क़यामत में सब से पहले सवाल होगा। एक जगह उन लोगों से सवाल व जवाब के मौक़े पर जो हजन्नम के अज़ाब के मुस्तहक हुए इरशाद होता हैः—

तर्जुमाः *"कि तुम दोज़ख़ में क्यों पड़े, वह जवाब देंगे कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे, और न फ़क़ीरों को खाना खिलाते थे, और अहले बातिल के साथ मिल कर हक से इनकार करते थे, और रोज़े जज़ा को झुठलाते थे, यहां तक कि हमें मौत आ गई।"*

(सूरः मुदस्सिरः 42—47)

दूसरी जगह कुफ़्फ़ार के बारे में इरशाद होता हैः—

तर्जुमाः *"तो इस (ना आक़बत अन्देश) ने न तो (खुदा के कलाम की) तस्दीक़ (पुष्टी) की, न नमाज़ पढ़ी, बल्कि झुठलाया और मुंह फेर लिया, फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया।"*

(सूरः क़यामत 31—33)

इबादात में पहली चीज़ नमाज़ है। यह दीन का सुतून है। और मुसलमानों को काफ़िरों से अलग करता है। अल्लाह तआला का इरशाद हैः—

तर्जुमाः *"और नमाज़ पढ़ते रहो, और मुशरिकों में न होना।" (सूरः रूम—31)*

इमाम बुख़ारी रह0 लिखते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, "बन्दा और कुफ़्र के दरमियान की आखरी सीमा नमाज़ छोड़ना है।" और तिर्मिज़ी शरीफ़ में है, "कुफ़्र और ईमान के दरमियान तर्के नमाज़ ही है।"

नजात की शर्त नमाज़ है। यह ईमान की हिफ़ाज़त करती है। और इसको अल्लाह ने हिदायत व तक़्वा की बुन्यादी शर्त के तौर पर बयान किया है। नमाज़ हर आज़ाद और गुलाम, अमीर व ग़रीब, बीमार और तन्दुरूस्त, मुसाफ़िर और मुक़ीम पर हमेशा के लिए और हर हाल में फ़र्ज है। किसी बालिग़ इन्सान को किसी हाल में इससे छूट नहीं है। और इन के औक़ात मुकर्रर हैं। मैदाने जंग में भी नमाज़ फ़र्ज़ है और इसे सलवात–ख़ौफ़ कहते हैं। यह एक ऐसा फ़रीज़ा है कि किसी नबी और रसूल से भी साक़ित नहीं होता तो फिर किसी वली और आरिफ़ की क्या बात है। अल्लाह का इरशाद है:–

तर्जुमाः *"और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहिये, यहां तक कि आप को अम्र यक़ीन पेश आ जाये।"*

(सूरः हिज्र–99)

अम्रे यकीन का अर्थ तमाम मुफस्सरीन के नजदीक "मौत" है। नमाज़ मोमिन के हक़ में ऐसी है जैसे मछली के लिए पानी। नमाज़ मोमिन की "जायपनाह" और "जायअमन" है। नमाज़ बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है।

नमाज़ कोई ऐसा लोहे का साँचा नहीं जिस में सब नमाज़ी एक जैसे हों और हर नमाज़ी एक सतह पर रहने के लिए मजबूर और उससे आगे बढ़ने से क़ासिर हो। वह दरअसल एक बड़ा मैदान है जहां नमाज़ी एक हाल से दूसरे हाल तक और कमाल की उन मंज़िलों तक पहुंचता है जो उसके ख़याल में भी नहीं आ सकते। अल्लाह के कुर्ब और विलायत हासिल करने में नमाज़ को जो दर्जा हासिल है वह पूरे निज़ामे शरीअत में किसी और चीज़ को नहीं। इसके ज़रिये इस उम्मत के मुजाहिदीन हर नसल और हर दौर में कुर्ब व विलायत के उन दर्जात तक पहुंच सकता। नमाज़ नबूवत की मीरास है जो अपने तमाम आदाब व अहकाम के साथ बहिफ़ाज़त एक नसल से दूसरी नसल और अहेद से दूसरे अहेद तक पहुंचती रही।

नमाज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महबूब व पसन्दीदा इबादत थी इससे आप को सुकून व तसल्ली होती थी। आप फ़रमाते थे, "मेरी आँखों की ठण्डक नमाज़ में है।" आप अपने मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ि0 से फ़रमाते, "बिलाल नमाज़ खड़ी करो, और हमें इससे आराम पहुंचाओ।" हज़रत हुजैफ़ा रज़ि0 से रिवायत है कि आप को जब कोई परेशानी की बात पेश आती फ़ौरन नमाज़ के लिए खड़े हो जाते। आप की नमाज़ "एहसान" का मुकम्मल और आला नमूना थी। आप से "एहसान" के मानी पूछे गये तो आपने फ़रमायाः–

तर्जुमाः *"अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करो जैसे कि तुम उस को देख रहे हो और अगर तुम उस को देख नहीं रहे जो तो वह तुम्हें देख रहा है।"*

और यही वह नमाज़ है जो हर मुसलमान से मतलूब है। आपने फ़रमाया, "इसी तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुम मुझ को नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो।"

❖❖❖

शरीअते मुहम्मदी का इल्म व क़लम से गहरा संबंध

—हजरत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी हिन्दी लिपिः मुहम्मद गुफरान नदवी

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरने वाली पहली "वही" ईशवरीय वाणी का आरम्भ जो "इक़राबिस्मिरब्बिक" (पढ़ये अपने रब के नाम के साथ) से हुआ था उसमें स्पष्ट संकेत किया गया था कि सत्य दीन की शिक्षा और व्याख्या जो अन्तिम नबी द्वारा की जा रही है, यह इल्म व क़लम से गहरा संबंध रखती है, अब तक इस इल्म व क़लम को इन्सान नफ़्स परस्ती (इच्छा भक्ति) व मन की प्यास बुझाने के लिए, बड़ाई दिखाने के लिए अपने ज्ञान व जानकारी को दुन्यावी इच्छाओं के लिए, कमज़ोर इन्सानों को ग़ुलाम बनाने और अपनी शान दिखाने के लिए करता रहा है, इसको अब इन्सानों के सुधार और अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने और मार्गदर्शन का जो काम उसके रब ने अपने ख़लीफ़ा की हैसियत से दिया है, जिसका बड़ा साधन इल्म और क़लम है, इसी क़लम और इल्म से उसको अपने नबी द्वारा मिलने वाली रहनुमाई में पूरा करना है, इसी तरह उस ज़ाते नबवी को जो उम्मी था यानी पढ़ना लिखना न जाने वाले, जो केवल प्राकृतिक और अनुभव शक्ति द्वारा जानकारी रखते थे अपनी ही तरह की उम्मी (अनपढ़) कौम ही के लिए नहीं बल्कि समाज के शिक्षित बल्कि बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के शिक्षक और आसमानी तालीमात को अकेले पहुंचाने वाले और इन्सानों की पूर्ण धार्मिक रहबरी करने वाले थे और इसी तरह उस नबी उम्मी पर जो "वही" नाज़िल होती रही चाहे कुरआन के रूप में या हदीस शरीफ़ के रूप में, इनसानियत के उपकार वाले ज्ञान का सरचशमा (स्रोत) बनी, इसी प्रकार यह "वही" सच्चाई और हिदायत के प्रचारकों के लिए इल्मी रिसर्च, और खोज का साधन भी बनी, प्रारंभिक "वही" के इन दो वाक्यों "पढ़ो" और "इन्सान को वह ज्ञान दिया जिसे वह न जानता था" के प्रभाव से इल्म के वह सरचश्मे फूटे जिनकी मिसाल इन्सानी इतिहास में नहीं मिलती और पिछले इल्म की जो पूंजी थी उस को प्रयाप्त नहीं समझा गया बल्कि उसमें बहुमूल्य वृद्धि (इज़ाफ़े) के साथ कीमती उलूम पैदा हुए जो पहले नहीं थे और उन नए उलूम में वह बारीकियां और गहराइयां पैदा हुईं कि इन्सानियत के लिए प्रमुख विशेषता बनीं, कुर्आन मजीद और हदीस शरीफ़ से संबंधित भांति भांति के विषय और उलूम वुजूद में आये, उन उलूम की लाइबरेरियां तैयार हो गईं और इस प्रकार अल्लाह के अन्तिम नबी की उम्मत इल्म और ज्ञान के साथ साथ मानवता के उपकार के लिए पथ प्रदर्शक बन गई।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरने वाली उस पहली "वही" ने अपने मानने वालों को इल्म व ज्ञान का वह महान रास्ता बता

दिया जो इन्सानियत के उपकार की ज़मानत बना, इसमें "इक़रा" के साथ बिस्मि रब्बिक" (पढ़ अपने रब के नाम से) के इज़ाफ़े से बड़ी मौलिक वास्तविकता स्पष्ट हो गई कि उस में इन्सान के पढ़ने को इन्सान के ख़ालिक़ (पैदा करने वाले) के नाम से जोड़ा गया यानी इन्सान अपने ग़ौर व फ़िक्र (चिन्तन, विचार) और बहस व तहक़ीक़ (वितर्क, अन्वेषण) से जो इल्म हासिल करे उसको अपने ख़ालिक़ व मालिक से संबंधित कर के हासिल करे ताकि वह ग़लत राह पर न चला जाये क्योंकि वह ख़वाहिश और पसन्द व ना पसन्द रखने वाला इन्सान है, ग़लती कर सकता है और ग़लत रुख पर जा सकता है जब वह अपने इल्म को अपने रब के साथ संबंधित करेगा तो बहकने से सुरक्षित रहेगा, इसके अतिरिक्त उसको इल्म की सच्चाई और वास्तविकता मालूम होगी जिसको केवल उसका रब ही जानता है और बता सकता है जो उसके बताए बिना मालूम नहीं हो सकता, वह केवल "वही इलाही" द्वारा ही मालूम हो सकता है, फिर इल्म का साधन क़लम को बनाया कि उसके द्वारा इल्म को सुरक्षित किया जा सकेगा और रहती दुन्या तक उसका फ़ाइदा बाक़ी रहेगा, इस प्रकार इल्म की दो शाखें हुईं, एक वह जो दुन्यावी तक़ाज़ों और ज़रूरतों से संबंध रखती हैं और उनकी फ़िक्र करने की अल्लाह ने इजाज़त दी है और दूसरी उस ज़िन्दगी के बाद जो आखिरत की लम्बी ज़िन्दगी है जो दुन्यावी ज़िन्दगी में निगाहों से पोशीदा है, इसके विषय में रहनुमाई करने वाला इल्म है, दुन्यावी ज़िन्दगी के शारीरिक लाभ व हानि के इल्म की रहबरी के लिए अल्लाह तआला ने इन्सान की अक़्ल और उसके तजुर्बों (अनुभव) को साधन बनाया है, और आखिरत (प्रलोक) से संबंधित मार्गदर्शन के लिए जो इस दुन्यावी ज़िन्दगी में नज़र नहीं आता उसका इल्म इन्सान के पैदा करने वाले ही के बताने से ज्ञात हो सकता है जिस को वह अपने सर्वश्रेष्ट और निर्वाचित बन्दे अर्थात नबी द्वारा इन्सान को ज्ञात कराता है और अब रहती दुन्या तक अपने अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा बताया और उनको अल्लाह ने विशाल और व्यापक न बदलने वाले इल्म के बताने और समझाने के लिए नियुक्त किया, जिसमें इन्सान के लिए इस दुन्या में भी और आख़िरत के लिए भी कामयाबी है।

इस इल्म की तफ़्सीलात (विवरण) से अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुरआन मजीद द्वारा और फिर अपने नबी को "वही" द्वारा ज्ञात कराया, इस ज्ञान के बाद इन्सान को मानना और उस पर अमल करना अनिवार्य है और क़ियामत तक इसका जारी रहना निश्चित कर दिया है। और इसके न मानने पर अपने ख़ालिक़ व मालिक अल्लाह तआला की ओर से सख़्त सज़ा का पात्र होगा, नबी द्वारा जो ज्ञान आया उस का जानना और अमल करने का नाम "शरीअत" है, नबी और रसूल एक विशेष काल और

क्षेत्र के लिए होते थे, एक रसूल दूसरे रसूल के ज़माने तक होता था परन्तु अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दुन्या के अन्तिम काल तक नियुक्त किया गया।

सर्वभौम और सर्व कालिक शरीअतः-

जो शरीअ़त आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दी गई वह आखिरी ज़माने तक जारी रहने वाली शरीअ़त क़रार दी गई है, इसी कारण आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअ़त को ऐसी मुकम्मल (पूर्ण) शरीअत बताया गया है, जिस में अब कोई संशोधन नहीं होना है और शरीअते इलाही की हिफ़ाज़त और बक़ा (स्थिरता) इसी शरीअ़त में रखी गई है, इसलिए इससे वाक़िफ़ (अवगत) होना और अपनी ज़िन्दगी को उसके अनुकूल ढालना ज़रूरी क़रार दिया गया है जो शरीअ़त आप को दी गई वह बुन्यादी तौर पर पिछले नबियों को दी गई शरीयत की तरह है, इस तरह वह कोई नई शरीअत नहीं है, बल्कि वह पिछले नबियों को दी गई शरीअत के क्रम से जुड़ी हुई है परन्तु उन की शरीअत अपने अपने ज़मानों के लिए और अपनी अपनी क़ौमों के लिए होती है और आख़िरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत मुकम्मल और सारे इन्सानों, ज़मानों और आइन्दा आने वाले इन्सानों के हालात के लिहाज़ से जामे (व्यापी) और क़ियामत तक बाक़ी रहने वाली शरीअ़त है।

शरीअते मुहम्मदी के बुन्यादी स्तम्भः-

1. समस्त भूतपूर्व नबियों और अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दी गई शरीअ़त में संयुक्त और केन्दी बिन्दु तौहीद (एकेश्वरवाद) का बिन्दु है, इसके अनुकूल केवल अल्लाह तआला को इन्सानों और अन्य समस्त सृष्टि का ख़ालिक़ (पैदा करने वाला) व मालिक, राज़िक (अन्नदाता) और आसमान व ज़मीन और सारे संसार का पैदा करने वाला और चलाने वाला मानना है, उस पर ईमान लाना और उसकी इबादत को उसी के साथ विशेष करना ज़रूरी है और उसके साथ किसी को शरीक करना सहयोगी बनाना, किसी और को खुदा समझना यह उस ख़ुदाए मालिक तथा राज़िक के ख़िलाफ़ बल्कि उसको नाराज़ करने वाला अमल है, किसी ज़ात को चाहे इन्सान हो या किसी अन्य सृष्टि से संबंधित हो एक ख़ुदा के साथ शरीक करने की इजाज़त नहीं है, यही मुक़ामे तौहीद है जिस की दावत हर नबी ने दी, और उसका पैग़ाम उस की उतारी हुई तमाम किताबों और "वही" द्वारा नबियों को दिया गया, "तौरैत" हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, "ज़बूर" हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, "इनजील" हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुर्आन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम पर उतारा गया।

2. फिर अल्लाह तआला के इन्ही हुक्मों (आदेशों) को मानने के लिए उसके बताने वाले लोग अल्लाह तआला की ओर से नियुक्त किये हुए नबी होते रहे, उनका क़ौल व अमल (कथन, कर्म) अल्लाह तआला ही की ओर से होता रहा है, अतः उसको मानना भी अनिवार्य है, क्योंकि उसके द्वारा बताई हुई बात रब्बुलआलमीन (सारे जहान के रब) की बताई हुई बात होती है और वह ख़ुदाई पैग़ाम रिसालत (ईश दौत्य) होता है, उसको हर नबी अपने रब की ओर से पहुंचता है, वह कहता है मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैग़म्बर हूं और मेरी बात अल्लाह की तरफ़ से है उसको मानो, अतः नबी और उसकी बात को मानना दूसरा केन्द्रीय बिन्दु है।

3. इसके बाद तीसरा बुन्यादी बिन्दु आखिरत का बिन्दु है कि इस दुन्यावी ज़िन्दगी के बाद दूसरी दाइमी और अबदी (स्थायी और अनन्त) ज़िन्दगी आख़िरत की ज़िन्दगी होगी जिसमें हर इन्सान को जाना है, उस में इन्सान को वहां जो राहत व सुहूलत हासिल होगी वह केवल उसी मात्रा में होगी जिस मात्रा में अपने नबी की बात मानी होगी।

4. इन तीनों बुन्यादी बातों के बाद इस बात के भी मानने की ज़रूरत होती है कि अल्लाह तआला की मख़लूक (सृष्टि) फ़िरिश्ते भी हैं और वह आसमानी मख़लूक़ हैं जो इन्सान की आँखों से नज़र नहीं आते वह आम तौर पर (सामान्य रूप से) अपनी न देखी जाने वाली शक्ल में आते और अपने परवरदिगार का पैग़ाम नबियों तक पहुंचाते हैं, वह अल्लाह तआला के मुकम्मल ताबेदार बन्दे होते हैं और अपने परवरदिगार की ऐन मर्ज़ी के अनुसार काम करते हैं और हर समय अपने रब्बुल आलमीन की तस्वीह व इबादत में रहते हैं।

5. इसी तरह यह बात भी मानना है कि सारी मख़लूक़ और सारे आलमों को तनहा उस एक खुदा ही ने पैदा किया है, और उनको यूंही बे समझे बूझे पैदा नहीं किया बल्कि उनके पैदा करने का मक़सद (उद्देश्य) और पैदा किये जाने के बाद उनकी ज़िन्दगी की तफ़सील (विवरण) पहले तय कर दी थी अतः जो कुछ होता है उसी के अनुसार होता है, अच्छा हो या बुरा, और इसी को तक़दीर कहते हैं, और दुन्या की इस ज़िन्दगी के बाद आख़िरत की न ख़त्म होने वाली ज़िन्दगी होगी जिसमें दुन्या वाली ज़िन्दगी के आमाल हिसाब व किताब, जज़ा (बदला) व सज़ा होगी, यह दीन की वह बुन्यादें हैं जिनको मानने के बाद उनके अनुसार अमल करने के जो आदेश और हिदायात हैं उनको शरीअत कहते हैं और इसी को रब्बुल आलमीन की तरफ़ से निश्चित दीन बल्कि दीने इस्लाम कहते हैं फ़रमाया "इन्नदीन इन्दल्लाहिल इस्लाम"

शेष पृष्ठ ....17 पर.

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षाएं हम अपने व्यवहार में लाएं

—मौलाना मुहम्मद हम्जा हसनी नदवी

अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर अनगिनत उपकार किये हैं, उन उपकारों में बड़ा उपकार यह है कि अल्लाह ने अपने अन्तिम नबी को भेज कर भटकी दुन्या को अपना निर्धारित सत्यमार्ग दर्शाया, इस उपकार का वर्णन अल्लाह तआला ने पवित्र कुर्आन में इस प्रकार किया है—

तर्जुमाः *"निःसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा उपकार किया जब कि स्वयं उन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़ कर सुनाता है और उन्हें निखारता है, और उन्हें किताब और हिकमत की शिक्षा देता है अन्यथा उससे पहले वे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे"।*

(सूरः आले इमरान—164)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह की ओर से जो सन्देश ले कर आए, वह हर उस शख्स के लिए नजात (मुक्ति) और सफलता देने वाला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सच्चा प्रेम अपने मन में बसा लिया, और उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुकरण को अपने लिए शुभ तथा सफलता का साधन समझा और फिर आपके अनुकरण के मार्ग पर चलते हुए जीवन बिता दिया।

हमारे लिए आवश्यक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी तथा आप की शिक्षाओं का अध्ययन करते रहें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक एक सुन्नत पर स्वयं चलें और अपने घर वालों तथा सम्बन्धियों को आदेश दें कि वह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुकरण में अपना जीवन बिताएं, इससे सांसारिक तथा पारौकिक (आखिरत) की सफलता हमें प्राप्त होगी। अल्लाह तआला हम को पुरस्कृत करेगा।

आज संसार में दूसरों की ओर से मुसलमानों के विरोध में जो कुछ देखा जा रहा है और मुसलमानों को गिराने के लिए जो षडयंत्र रचे जा रहे हैं वह स्पष्ट हैं इन विरोधियों तथा षड़यंत्रों से बचने का एक ही मार्ग है कि हम इस्लाम के सच्चे अनुयायी बनें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवन प्रणाली को हर समय अपने समक्ष रखें। तामस मन और शैतान से अल्लाह की शरण चाहते हुए नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षाओं को अपनाए रखें, पवित्र कुर्आन तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों से शिक्षाएं प्राप्त करके उन को अपने दांतों से पकड़े रखें।

यही नहीं कि स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षाओं को अपनाएं अपितु अपने सभी मुसलमान भाइयों को भी इस ओर लाने का भरसक प्रयास करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पवित्र जीवनी की एक एक बात लोगों के सामने ला कर उन को अपनाने की दावत दें। अपने वतनी भाइयों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी से अवगत कराएं जिनके बीच हम रहते हैं, उनसे हमारे सम्बन्ध हैं पड़ोस के सम्बन्ध, व्यापार के सम्बन्ध, कारोबार के सम्बन्ध हैं। उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पवित्र तथा अछूता अनुकरणीय जीवन आएगा तो वह समस्त भ्रम की बातें दूर होंगी जिन के सबब मुसलमानों के विरुद्ध पक्षपाती बरताव होता है और इस्लाम के गुणों को छिपा दिया जाता है।

हम को यह बात भली भांति समझ लेना चाहिए कि समाज में हमारा भला आचरण ही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। यदि हमारा स्वभाव भला होगा तो दूसरे हम से प्रेम करेंगे। हमारा चरित्र बुरा होगा, हमारा स्वभाव अमानवीय होगा तो दूसरे हम से घृणा करेंगे।

अतः हम को चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षाएं अपने व्यवहार में ला कर अपने वतनी भाईयों को प्रभावित करें और समाज को शांति मय बनाएं अल्लाह हम को सामर्थ्य दे।

◆◇◆

शरीअते मुहम्मदी .....

कि दीन अल्लाह तआला की तरफ़ से इस्लाम ही है।

मज़कूरह बाला (उपरोक्त) बातों के मानने को इन अलफाज़ में बयान किया गया है "मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फ़िरिश्तों पर, और उसकी किताबों पर, और उसके रसूलों पर, आख़िरत के दिन पर, और इस बात पर कि जो कुछ अच्छा बुरा होता है वह सब अल्लाह के हुक्म और तक़दीर से है, और मैं ईमान लाया मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा किये जाने पर"।

इन बुन्यादी बातों को मानने के बाद उन सब पर अमल करने का मुआमला आता है जिसको शरीअ़त कहते हैं, इसमें जिन्दगी के तौर तरीक़े (आचरण व्यवहार) को खुदा के हुक्मों के अनुसार पालन करने के आदेश होते हैं जो नबी को "वही" के द्वारा दिये जाते हैं, हर नबी इन्सानों को अपने परवरदिगार (पालन –हार) की मरजी के अनुसार ज़िन्दगी गुज़ारने, एक दूसरे के साथ सुलूक़ (व्यवहार) करने ख़ुदा की ओर से दी गई नेमतों के प्राप्त करने और प्रयोग करने का तरीक़ा और ख़ुदा के हुक्मों पर चलने का तरीक़ा बतलाता है, और नबी को यह सारी शिक्षाएं "वही" के द्वारा दी जाती हैं इस तरीक़े से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर पूरा किया जाने वाला दीन इल्म व अमल (ज्ञान व कर्म) दोनों पर आधारित है।

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे..

कामन सिविल कोड:

शरीअत, कानून और क़ौमी मस्लिहतों की रौशनी में

–हिन्दी अनुवादः जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी –मौ0 खालिद सैफुल्लाह रहमानी

सत्यता यह है "यूनिफार्म सिविल कोड" विभिन्न कारणों से हमारे देश के लिए मुनासिब नहीं है, एक तो इस से अल्पसंख्यकों के मजहबी हुकूक़ प्रभावित होंगे जो संविधान की बुन्यादी रूह के विपरीत है, दूसरे समान कानून ऐसे देश के लिए तो मुनासिब हो सकता है जहां एक ही धर्म व सभ्यता के मानने वाले रहते और बसते हों। हिन्दुस्तान विभिन्न जातियों एवं प्रजातियों के समाज का देश है जिस में विभिन्न सभ्यताओं के मानने वाले लोग पाये जाते हैं। अनेकता में एकता ही इस देश की पहचान है और इसी से यह देश बाकी रहने वाला है। इसलिए ऐसे देश के लिए कामन सिविल कोड़ के क्वानीन मानने योग्य नहीं हैं। तीसरे मजहब से इन्सान का लगाव बहुत गहरा होता है, कोई भी सच्चा धार्मिक मनुष्य अपने स्वयं का नुकसान तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धर्म पर आंच को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए अगर किसी वर्ग के धार्मिक संविधान को मिटाने और उस पर स्वरचित कानून थोपने की कोशिश की जायेगी तो उस से मायूसी और विद्रोह के भाव पैदा होंगे और यह देश की एकता एवं अखण्डता के लिए हानिकारक है।

हमारे सामने "नागाओं और मेंजऊओं की स्पष्ट मिसाल मौजूद है कि उन्होंने अपने विद्रोह को उस समय तक समाप्त नहीं किया जब तक उनको कुछ विशेष अधिकार न दिये गये, जिनमें विशेष रूप से उन्हें अपने वंश विधान पर अमल करने की आज़ादी भी शामिल है, इसलिए सत्यता यह है कि विभिन्न प्रजातियों को अपने अपने विधान पर अमल की अनुमति देना देश के हित में है उस से देश की एकता को बल मिलेगा, न कि हानि।

मुसलमानों को तो यूनिफार्म सिविल कोड पर आपत्ति तो है ही, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक सोचा जाये तो व्यावहारिक तौर पर स्वयं बहुसंख्यक वर्ग भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। हिन्दुओं की विभिन्न प्रजातियां हैं और विवाह वगैरह के संबंध में अलग अलग तरीके प्रचलित हैं ऐसा नही है कि देश के सारे हिन्दू किसी एक तरीक़े के अधीन हों। अंततः वह अपने मूल आस्थाओं और उपासनाओं में भी अलग अलग हैं, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानता तो कोई मानता है। कोई रावण को बुरा भला कहता है और राम की पूजा करता है, कोई राम को बुरा भला कहता है और रावण की पूजा करता है, इसी प्रकार विवाह को देखें, कि उत्तरी भारत में मामू और भांजी के मध्य विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन दक्षिण भारत में बहन का अपने भाई पर अधिकार समझा जाता है कि वह उसकी लड़की से विवाह कर ले, कबाइलियों के यहां

खानदानी रस्मों रिवाज बिल्कुल भिन्न हैं। आज भी कुछ कबाइल में एक मर्द एक दर्जन से ज़ियादा औरतों से निकाह कर सकता है। यहां तक कि अभी भी ऐसी रस्में पाई जाती हैं कि एक औरत एक से ज़ियादा मर्द से निकाह में होती है, जिस देश में धर्मों और सभ्यताओं में इस प्रकार भिन्नता पायी जाती हो वहां एक ही कानून समस्त वर्गों के लिए कैसे अनुकूल हो सकता है?

जो लोग कामन सिविल कोड के पक्षधर है, वह बुन्यादी तौर पर दो बातें कहते हैं। एक यह कि इस से सामाजिक एकता पैदा होगी। दूसरे जब यूरोप में समस्त कौमों के लिए एकल कानून हो सकता है, तो हिन्दुसतान में क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सोचा जाये तो यह दोनों ही बातें गलत हैं। कानून से सामाजिक एकता पैदा नहीं होती। सामाजिक एकता उदारता, बर्दाश्त और एक दूसरे के मामले में निर्पेक्षता से पैदा होती है। दुन्या की दोनों अजीम जंगें मूलतः ऐसी दो कौमों के मध्य हुई हैं, जिन का धर्म एक था जिन की सभ्यता एक थी, जिन का संविधान और रहने सहने का तरीका एक था यह सारी एकतायें भी जंग को रोकने और सामाजिक एकता पैदा करने में विफल रहीं। खुद मुस्लिम देशों में देखिए कि ईराक व ईरान और शाम व अफगानिस्तान के विभिन्न दलों के मध्य इसके बावजूद जंगें हो रही हैं कि वह मूलतः एक ही धर्म और एक ही कानून के मानने वाले हैं। हिन्दुस्तान ही को देखिए कि यहां विभिन्न राजाओं के मध्य युद्ध की एक लम्बी तारीख है, यह सब एक ही सभ्यता के मानने वाले लोग थे लेकिन यह एकता उनको जोड़ नहीं पाई और आज भी सामप्रदायिक दंगें इस लिए नहीं होते कि मुसलमानों का सामाजिक विधान अलग है और हिन्दुओं के खानदानी विधान और रीति रिवाज अलग, बल्कि इस के प्रतिकूल धार्मिक विधान से हट कर जब नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से महब्बत के नतीजे में जाति और धर्म से उठ कर विवाह रचाते हैं तो उस से साम्प्रदायिक तनाव पैदा होता है और सामाजिक एकता खण्ड खण्ड हो जाती है। इसलिए यह सोचना बिल्कुल गलत है कि संविधान की एकता की वजह से सामाजिक एकता पैदा होगी। वैसे भी सामाजिक जिन्दगी के अलावा समस्त विधान में पहले से एकता मौजूद है, लेकिन क्या यह एकता सामाजिक एकता को स्थिर रखने में कारगर हो रही है?

सत्यता यह है कि सामाजिक एकता इस बात से पैदा होगी कि हर वर्ग को अपने धर्म पर अमल करने और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाय, इस से हर वर्ग में इत्मिनान व्याप्त होगा, वह महसूस करेंगे कि वह इस देश में बराबर के शहरी हैं। इससे वतन परस्ती में बढ़ोत्तरी होगी, महरूमी का एहसास खत्म होगा। भाई चारा का वतावरण पैदा होगा और यही सामाजिक एकता है। हमें यह बात ध्यान में रखना

चाहिए कि हर चीज में सामानता और एकता पैदा करना मुम्किन नहीं है, अगर आप कानून एक बना भी दें तो देश में जो विभिन्न सभ्यता और तहजीब वाले वर्ग हैं, जिनके पहनावे, रहन सहन, प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता प्रकट करने के तरीके, जिन्दगी गुजारने के अंदाज़, समाजी रसूम व रिवाज अलग अलग हैं और उसके स्रोत उनके धर्म, मौसम, भौगोलिक स्थान, खानदानी रिवायात और नस्ली विशेषताओं में विलीन हैं, क्या उनका भी खात्मा किया जा सकता है? फिर यह बात काबिले गौर है कि धर्म, सभ्यता और ज़बान की विभिन्नता कोई ऐब है या यह इस देश की खूबी एवं सुन्दरता? गुलाब का एक फूल अच्छा लगता है या गुलदस्ता जो भिन्न–भिन्न प्रकार के फूलों से तैयार किया जाता है? फूल का एक पौधा खूबसूरत नज़र आता है या भिन्न भिन्न पौधों पर सम्मिलित फुलवारी? स्पष्ट है कि जो खूबसूरती इस भिन्नता में है वह खूबसूरती उस एकाई में पैदा नहीं हो सकती, जिस के पीछे अत्याचार और दबाव का हाथ हो, हिन्दूस्तान को इस के निर्माताओं ने गुलदस्ता बनाया है न कि एक फूल, इस देश को सींचने वालों ने इस को भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ों का एक हमेशा फल फूल देने वाला बाग बनाया है न कि एक ही प्रकार के पेड़ों का बागीचा, यही रंगा रंगी इस देश की सौंदर्यता की पहचान है।

यूरोप की जो मिसाल हिन्दुस्तान के लिए पेश की जाती है वह बिल्कुल बेमौका व नामुनासिब है, हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है कि पूरा यूरोप उस के एक भाग में समा जाये, और हिन्दुस्तान की जनसंख्या इतनी जियादा है कि शायद पूरा योरोप मिल कर भी इसकी बराबरी न कर सके।

यद्यपि इस मामले में हम को दूसरे देश को मिसाल बनाना ही है तो अमेरिका को बनाना चाहिए। जो दुन्या की दूसरी सब से बड़ी जमहूरियत है और हिन्दुस्तान की तरह मिले जुले समाज व सभ्यता वाला देश है। यहां हर राज्य में अलग अलग प्रस्न लॉ लागू है। यहां तक कि अगर एक ऐसे राज्य का वासी दूसरा विवाह करना चाहता है जहां दूसरे विवाह की अनुमति नहीं तो वह दूसरे राज्य में जा कर विवाह रचाता है जहां इस में रुकावट नही। इसीलिए हिन्दुस्तान जैसे देश की हिफाजत और समाजी एकता इस बात में पोशीदा है कि इसमें सामाजिक विभिन्नता को बाकी रखने का भरसक प्रयास किया जाये और जोर दिया कि इसकी एकता एवं अखण्डता बाकी रहे, किसी ऐसी इकाई को आगे न बढ़ाया जाये जो देश की एकता को खण्डों में बांट कर रख दे। पूर्वी देशों और पश्चिमी देशें में एक मूल अंतर यह भी है कि पश्चिम में लोगों का धर्म से गंभीर और भावनातमक लगाव नहीं

है, उन के यहां एक या दो त्यौहारों के अलावा धर्म से जिंदगी का कोई नाता रिश्ता बाकी नहीं रहा। जन गणना के रिकार्ड में सिर्फ खानदानी रिवायत के तौर पर किसी धर्म का नाम अंकित करवा दिया जाता है, इसलिए धार्मिक संविधानों की समाप्ति पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती और यह मूलतः चर्चों के जालिमाना रवैये के खिलाफ समाज की बगावत के नतीजे में पैदा होने वाली आजादी का परिणाम है। जिसका एक कड़वा इतिहास है। हिन्दुस्तान की यह सूरते हाल नहीं है। हिन्दुस्तान में बसने वाले लोग धर्म से तअल्लुक रखते हैं इसीलिए जब 1956 में हिन्दुओं के लिए नियमित संविधान बना तो स्वयं राष्ट्र पति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद उससे बेहद दुखी थे इसीलिए हिन्दुओं से मुतअल्लिक संविधान में हर जगह इस बात को सम्मिलित करना पड़ा कि अगर कहीं क्षेत्रीय रस्मों रिवाज इसके विवरीत हो तो उस को श्रेष्ठा हासिल होगी।

कामन सिविल कोड के पक्ष में एक बात यह कही जाती है कि हिन्दुस्तान एक सेक्यूलर देश है और सेक्यूलर देश में धार्मिक संविधान के लिए कोई गुंजाईश नहीं है, यह भी एक प्रकार का भ्रम है। सेक्यूलरिज्म का कोई एक अर्थ निश्चित नहीं है। बल्कि विभिन्न देशों में वहां के हालात और हितों के अनुरूप उस का अर्थ निश्चित किया गया है। धर्मनिर्पेक्षता का एक अर्थ वह है जो फ्रांस ने धारण किया है जिस की बुन्याद धर्म की मुखालफत पर है। जो चाहता है कि धार्मिक पहचान बाकी न रहे तो बेहतर है।

धर्मनिर्पेक्षता का दूसरा अर्थ यह है कि हुकूमत का कोई धर्म न हो, प्रशासनिक तौर पर किसी खास धर्म की हिमायत न हो, लेकिन देश के हर व्यक्ति को अपनी निजी ज़िन्दगी में धर्म पर अमल करने की गुंजाइश हो। ज़ियादातर पश्चिमी देशों में इसी ऐतिबार से धर्मनिर्पेक्षता को इख्तियार किया गया है। और हिन्दुस्तान में भी इसी को बरता गया है तथा उसी के आधार पर संविधान का संकलन किया गया है इस लिए यह बात बिल्कुल अनुचित है कि चूंकि हिन्दुस्तान एक धर्मनिर्पेक्ष देश है इसलिए यहां खानदानी ज़िन्दगी से संबंधित धार्मिक संविधान की गुंजाइश नही।

यह बात भी अजीब लगती है कि बीजेपी ने यूनिफार्म सिविल कोड को अपने एजंडे में रखा है। यह सामप्रदायिक पार्टी मूलतः ब्राह्मणी सोंच की प्रतिनिध है और आर एस एस का सियासी विंग है, यह स्वयं को हिन्दुओं के अधिकारों का रक्षक बताती है अगर उसने ऐसी समस्याओं को अपनी सूची में रखा है जिन में हिन्दुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के हितों में टकराव हो, या जिन का उद्देश्य हिन्दुओं की श्रेष्ठता कायम रखना हो तो यह बात समझ में आती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला मुसलमानों का आपसी मसला है। अगर मुसलमान उस पर अमल करे तो इस से हिन्दुओं को न लाभ है न हानि, उसका एक पहलू यह भी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अन्तर्गत मुसलमान

शेष पृष्ठ .....24...पर.

लौट पीछे की तरफ ऐ गरदिशे अय्याम तू

—मौलाना मुफ्ती मुहम्मद तक़ी उसमानी

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

अल्लाह का शुक्र है कि हम सब का इस बात पर ईमान है कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा संसार में जो शांतिमय परिवर्तन आया वह इस तरह हुआ कि लोगों ने इबादात (उपासनाओं) से ले कर आपसी व्यवहार तथा रहन सहन में अपितु पूरे जीवन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी को सामने रखते हुए उन की सुन्नतों को अपनाया इसी प्रकार इस पर भी हम सब सहमत हैं कि आरम्भ के इस्लामी काल में हम को जो विश्वव्यापी मान सम्मान मिला था उसे पुनः लौटाने का एक मात्र मार्ग यही है कि फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी तथा उनकी सुन्नतों की ओर ध्यान दें और उनका वास्तविक अनुकरण करें।

यह वह बात है जिस पर हम सब ईमान और विश्वास रखते हैं, परन्तु यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि हम जैसे भी हों नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रास्ते पर चल रहे हैं फिर हम को उस का फल क्यों नहीं मिल रहा है? जब कि सहा—बए—किराम इसी ईमान तथा विश्वास द्वारा आदर सम्मान तथा प्रतिष्ठा के उच्चतम स्थान पर पहुंच गये थे, लेकिन जब हम इस विषय में सहा—बए—किराम की जीवनी का अध्ययन करते हैं तो हम को ज्ञात होता है कि वास्तव में उन का ईमान तथा विश्वास केवल बौद्धिक अथवा दृष्टि कोणिक न था अपितु उन का वह प्राकृतिक ईमान था जिस की जड़ें उन के हृदय में जमी हुई थीं तथा अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वास्तविक प्रेम उन के ईमान और विश्वास को निरंतर शक्ति प्रदान करता रहता था अतएव जीविका उपार्जन तथा रहन सहन (मईशत व मुआशरत) जीवन चरित्र तथा आचरण, उपासना तथा व्यवहार यहां तक कि रूप संवारने तथा पहनावे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नतों को अपनाते थे। इस विषय में उन को किसी की निन्दा अथवा आलोचना की चिन्ता न थी उन्होंने संसार के ख्याति प्राप्त सभी गैर मुस्लिम सज्जनों का कभी भी अनुकरण न किया और अपने प्यारे नबी की छोटी सी छोटी सुन्नत को गैरों को प्रसन्न करने के लिए न छोड़ा।

मुसन्नफ इब्नै अबी शैबा रह0 में रिवायत है कि सुल्हे हुदैबिया के अवसर पर जब हज़रत उस्मान रज़ि0 नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से दूत बन कर मक्का वालों के पास गये तो उन्होंने आप के साथ बात चीत में अपमान का व्यवहार किया बाद में हज़रत उस्मान के चचेरे भाई अबा बिन सईद ने उन को शरण दी और अपने साथ घोड़े पर बैठा के ले गये। हज़रत उस्मान का नीचे का पहनावा सुन्नत के अनुकूल आधी पिंडली तक था जिसे कुरैश के सरदार अप्रिय रखते थे अतएव उन के चचेरे भाई ने कहा कि

भाई साहब आप इतने विनीत (मुतवाज़े) क्यों दिख रहे हैं। आप अपने नीचे के वस्त्र को कुछ नीचे कर लजिए ताकि कुरैश के सरदार आप को हीन न समझें जाहिर में यह परामर्श भलाई तथा हित का था परन्तु हज़रत उस्मान ने इसे स्वीकार न किया अपितु उत्तर दिया कि "हमारे आका (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का नीचे का पहनावा ऐसा ही है" अतः मैं इस सुन्नत को छोड़ नहीं सकता।

(कन्जुल आमाल:8/56)

इस प्रकार की घटनायें अनगिनत हैं सुन्नत पर स्थिर रहने की घटनाओं से इस्लामिक इतिहास भरा पड़ा है सहा–बए–किराम की सुन्नत के अनुकरण की इन घटनाओं से प्रत्यक्ष है कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुकरण में स्वार्थ रहित थे न कोई दुन्या का लालच था न गैरों को खुश करने या उन की निन्दा की परवाह थी न उन की हंसी उड़ाने की कोई चिन्ता थी।

इसके विपरीत हमारा हाल यह है कि यद्यपि हम मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी धरती पर सब से उत्तम जीवन चरित्र है परन्तु व्यवहार में हम आप की सुन्नतों में अन्तर करने लगे हैं। आप के चरित्र की जो सुन्नत हमारे मन को भाती है उस को अपनाते हैं और जो सुन्नत हमारे मन को नहीं भाती उस को आप की सुन्नते आ़दिया (व्यक्तिक स्वभाव) कह कर उस को छोड़ देते हैं। जैसे मआ़ज़ अल्लाह (अल्लाह की शरण) आपके स्वभाव से बढ़ कर किसी का स्वभाव हम को भा गया है जिसे हम ने अपना लिया है और कभी कोई सुन्नत छोड़ने का यह बहाना बना लेते हैं कि यह सुन्नत इस समय के अनुकूल नहीं है और कभी यह कह कर कोई सुन्नत छोड़ देते हैं कि यह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के काल के लिए खास (विशिष्ट) थी। यह सुन्नत हमारे इस काल के लिए नहीं है।

हम कुछ सुन्नतों से बचने के लिए यह बहाने के अर्थ हर दिन करते रहते हैं यह बातें यह सिद्ध करती हैं कि ईमान तो है परन्तु महब्बत की कमी है यही वह भारी तथा स्पष्ट अन्तर है जो हमारे ईमान और सहाबा रज़ि0 के बीच है।

अतः यदि हम चाहते हैं कि इस्लाम के पहले काल में सहा–बए–किराम रज़ि0 को जो मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त थी वह हम को भी प्राप्त हो तो इस के लिए आवश्यक है कि हम नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुकरण उसी प्रकार करें जिस प्रकार सहाबा ने किया था उस अनुकरण में न कोई बहाने वाला अर्थ हो न तामस मन की इच्छा हो न किसी के हंसी उड़ाने का भय हो इसलिए कि खुदा की कसम न यह आकाश को छूने वाले भवन हम को वास्तविक सम्मान दे सकते हैं न उच्च कोटि के चमक दमक वाले वस्त्र, हमारे लिए आदर व सम्मान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शुद्ध अनुकरण में है उन के आज्ञा पालन में है वह नबी जो एक दिन खाता और एक दिन भूखा रहता था, जो चटाई पर सोता था जो अपने पेट पर पत्थर बाँध कर ख़न्दक़ खोदता था और जो

शेष पृष्ठ .....30..पर.

एलाने मिलकियत व अन्य विवरण फार्म-4 नियम-8

प्रकाशन का स्थान	—	मजलिसे सहाफ़त व नशरियात, नदवतुल उलमा, बादशाहबाग, लखनऊ
प्रकाशन अवधि	—	मासिक
सम्पादक	—	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
राष्ट्रीयता	—	भारतीय
पता	—	अहाता दारुल उलूम, नदवतुल उलमा, लखनऊ
मुद्रक एवं प्रकाशक	—	अतहर हुसैन
राष्ट्रीयता	—	भारतीय
पता	—	21—अदनान पल्ली निकट, हिरा पब्लिक स्कूल, रिंग रोड, दुबग्गा, डाक घर, काकोरी, लखनऊ
मालिक का नाम	—	मजलिसे सहाफ़त व नशरियात, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ

मैं, अतहर हुसैन प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे विश्वास व जानकारी में सही हैं।

कामन सिविल कोड .....

और हिन्दू धर्म के मामने वाले के मध्य विवाह नहीं हो सकता। इस प्रकार वह बात पेश नहीं आयेगी जिस से यह लोग भ्रमित हैं और जिस को गलत तरीके से उन्होंने "लवजिहाद" का नाम दे रखा है। सत्यता यह है कि मुसलमानों से नफरत और अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म व नाइंसाफी के अलावा इस का कोई और कारण नहीं हो सकता। और सिर्फ बीजेपी को ही इस का मुल्जिम क्यों माना जाय? अफसोस तो उंगली पर गिने जाने वाले उन थोड़े से नाम के मुसलमानों पर है जो सामप्रदायिक ताकतों और इस्लाम के विरोधियों का यंत्र बन कर मुस्लिम पर्सनल लॉ में फेर बदल की बात करते हैं। मैं उन की मजबूरी को अच्छी तरह समझता हूं वह अस्ल में अपनी बेरोजगारी का हल निकालना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग अपनी योग्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि चापलूसी के आधार पर सरकारी पद हासिल करते हैं वह चाहे उम्र के जिस भाग में हों उस से वंचित हो कर बेकरार हो जाते हैं। क्या कहा जाये कि इस समय हर वस्तु का भाव बढ़ता जा रहा है। इन्सान अपनी प्रतिदिन की जरूरत की चीज़ों की खरीदारी में मजबूर व बेबस होता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो सस्ती से सस्ती होती जा रही है, वह है कुछ लोगों की अंतरात्मा, यह अंतरात्मा के सौदागर हैं और कौड़ियों में अपना माल बेचते हैं, उनके लिए खुदा से हिदायत ही की दुआ की जा सकती है।

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: एक शख्स अपनी बीवी से तबई तौर पर दिलचस्पी नहीं रखता है और तबई मुनासबत न होने के सबब वह बीवी को तलाक देना चाहता है, उस के घर वाले भी तलाक दिलाना चाहते हैं हालांकि जाहिर में औरत में कोई खराबी या कमी महसूस नहीं होती है, ऐसे तलाक़ देने वाले या दिलाने वाले के बारे में इस्लामी शरीअ़त क्या कहती है?

उत्तर: शरई वजह के बगैर तलाक़ देना या दिलाना शरीअत में मना है, इसलिए कि तलाक़ से औरत को तक़्लीफ पहुंचती है और बे वजह उस को तक़्लीफ पहुचाना नाजाइज और गुनाह है निकाह मियां बीवी की राहत और आराम के लिए होता है और तलाक से यह राहत खत्म हो जाती है और साथ ही दोनों खान्दानों में बरसों तक नफरत रहती है, इसके अलावा यह अल्लाह तआ़ला की नेअ़मत की ना शुक्री है जो खुद एक भारी गुनाह है।

हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारें नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि "अल्लाह के नजदीक मुबाह चीज़ों में सबसे ना पसंदीदा चीज़ तलाक़ है" दूसरी हदीस में है कि "निकाह करो और तलाक न दो क्योंकि तलाक से अर्शे इलाही लरज़ उठता है" एक और हदीस में है कि "शैतान (इबलीस) समन्द्र में पानी पर अपना तख्त बिछा कर अपनी फौज को लोगों को बहकाने और फित्ना ब फसाद फैलाने के लिए भेजता है, इस शैतानी फौज के जो सिपाही मियां बीवी में अलगाव कराते हैं शैतान उन को शाबाश कहता है। और सीने से लगा लेता है कि तू ने बहुत खूब काम किया"।

(मुस्लिम शरीफ:2/376)

इन्हीं हदीसों से मालूम हुआ कि तलाक ब जाते खुद (स्वयं) एक नापसन्दीदा चीज है फिर बे सबब तलाक देना या दिलाना गुनाह है और शैतानी अमल हैं अगर शौहर को किसी वजह से बीवी ना पसन्द हो तो उस को चाहिए कि उस वजह को नजर अन्दाज़ करे और घर की बरबादी से बचे कि चीज़ों का अंजाम खुदा को मालूम है। मुम्किन है उस औरत में शौहर और उस के घर वालों के लिए खैर व बरकत रखी हो और नई बीवी जिस को लाने की तमन्ना हो उस में क्या क्या बुराइयां हों जिन का इल्म शौहर को नहीं है, अल्लाह तआ़ला फरमाते हैं "और तुम बीवियों के साथ अच्छी तरह गुजारा करो" अगर वह तुम को ना पसन्द हों तो मुम्किन है कि तुम कोई चीज ना पसन्द करो लेकिन अल्लाह तआला ने उस में बड़ी खूबी और भलाई रखी हो।"

(अन्निसा:19)

इस कुर्आनी तालीम में अल्लाह तआ़ला ने शौहरों को अपनी बीवीयों के साथ अच्छा सुलूक करने और सब्र व तहम्मुल से काम लेने की हिदायत फरमाई है, अल्लाह

और उसकी किताबों पर ईमान रखने वालों का यह स्वभाव होना चाहिए कि वह बे सबब और बे जरूरत अपनी बीवियों को तलाक दे कर तक्लीफ न पहुंचायें और उन की जिन्दगी दुशवारी में न डाल दें बल्कि उन के साथ अच्छी तरह निबाह करें, अगर उन में कोई कमी देखें या नागवार चीज महसूस करें तो सब्र व तहम्मुल से काम लें कि क्या बईद है कि अल्लाह तआला उन में बड़ी भलाई रखी हो।

प्रश्न: अगर कोई शौहर अपनी बीवी को उस की बदखुल्की, जबान दराजी और शरअ़ के खिलाफ काम के सबब तलाक दे दे जिस के सबब औरत परेशानी में पड़ जाये तो क्या ऐसे शख्स पर जुरमाना किया जा सकता है? या उस को दूसरी शादी से सजा के तौर पर रोका जा सकता है?

उत्तर: औरत की बद खुल्की (खराब चाल चलन) ज़बान दराजी या किसी शरई वजह से शौहर तलाक दे दे तो शरअ में उस को यह हक हासिल है। कि उस पर जुरमाना करना या दूसरी शादी से रोकना जुल्म व ज़ियादती है, शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह0 ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में बड़ी हिक्मत की बात लिखी है कि तलाक अगरचि ना पसन्दीदा चीज है, लेकिन उस का सद्देबाब (रोकना) मुमकिन नही क्योंकि बसा अवकात मियां बीवी में से किसी एक की बद अख़लाक़ी हिमाक़त या तंगीये मआश की वजह से शदीद इख्तिलाफ़ (बड़ा मतभेद) पैदा हो जाता है और दोनों में इतनी दूरी हो जाती है कि हुकूक पामाल होने लगते हैं, इन हालात में निकाह बाकी रखने पर मजबूर करना बलाए अ़ज़ीम (बड़ी विपत्ति) है। लिहाजा कोई ऐसी तदबीर इख्तियार करना जिससे लोग हरज में पड़ जायें सहीह नही है''।

(हुज्जतुलल्लाहिल बालिग़ाः 2/398)

प्रश्न: अगर औरत शौहर के वालिदैन का ख़्याल न करे जिस की वजह से वालिदैन बेटे से बीवी को तलाक देने का मुतालबा करें तो ऐसी सूरत में बेटा क्या करे? क्या वह वालिदैन की इताअ़त करते हुए बीवी को तलाक़ दे दे? जब कि तलाक देने में मियां बीवी दोनों का नुक़सान हो रहा हो?

उत्तर: शरई वजह के बिना तलाक देना कुफराने नेमत (कृतघ्नता) है जो अल्लाह तआला को बे हद ना पसन्द है, अगर हकीकत में बीवी का कुसूर न हो और वालिदैन अपने बेटे को तलाक देने पर मजबूर करें तो इस सूरत में वालिदैन की इताअत ज़रूरी नहीं है और इस सूरत में तलाक देना जाइज न होगा। लेकिन अगर औरत नाफरमान, बदजबान और अख़लाक़ व किरदार के एतिबार से काबिले तंबीह (चेतावनी योग्य) हो और समझाने और दूसरे इस्लाह के तरीकों के इख्तियार करने के बावजूद अपनी बुरी आदतें न छोड़े और उस के सुधरने की उम्मीद न हो तो वालिदैन की इताअत करते हुए ऐसी बीवी को तलाक देने की गुंजाइश है।

(रद्दुलमुहतारः 2/571–572)

प्रश्न: बाज औरतें अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहतीं बल्कि जुदा होने के लिए कोशां रहती हैं, शौहर किसी मसलिहत से तलाक नहीं देना चाहता है, ऐसी

सूरत में अगर औरत सरकारी कोर्ट से निकाह खत्म करा ले तो यह निकाह खत्म होगा या नहीं?

उत्तर: शौहर के लिए बे ज़रूरत अपनी बीवी को बीवी बना कर लटकाये रखना दुरुस्त नहीं है। कुर्आन मजीद में इस से मना किया गया है। औरत अगर परेशान हो कर कोर्ट से अपना निकाह खत्म करा ले तो ऐसी औरत को जानना चाहिए कि इस्लामी शरअ के लिहाज से सिर्फ मुसलमान काजी ही निकाह फ़स्ख़ (खत्म) कर सकता है। अगर कोर्ट में शरीअत के मुताबिक मुसलमान काजी हो और शरअ के मुताबिक निकाह फस्ख़ करे तो उस का फ़स्ख़ किया हुआ निकाह दुरुस्त होगा और निकाह खत्म हो जायेगा और शरीअत के मुताबिक उस पर अमल होगा।

प्रश्न: एक कुंवारी लड़की का निकाह होना था, उसके दरवाजे पर जिस से निकाह होना था वह लड़का और कुछ लोग जमा थे मजलिस से एक शख्स जो लड़की का वली न था लड़की के घर अन्दर गया जहां लड़की औरतों के बीच बैठी हुई थी, निकाह की इजाजत मांगी लड़की कुछ बोल न सकी उस की खामोशी को इजाजत समझ कर वह शख्स मजलिस में आया और निकहा पढ़वा दिया, यह निकाह सहीह हुआ या नहीं?

उत्तर: पूछी गई शक्ल में निकाह नहीं हुआ इस लिए कि अगर गैर वली लड़की से निकाह की इजाजत मांगे तो लड़की की खामोशी इजाजत न समझी जायेगी लड़की को कहना चाहिए था कि इजाजत है या मंजूर है लेकिन अगर लड़की उसी रोज़ रुखसत हो कर शौहर के पास गई और दोनों में खुशी खुशी मिलाप हुआ तो इस को इजाजत समझेंगे और निकाह दुरुस्त हो जाएगा।

प्रश्न: क्या लड़की से निकाह की इजाजत लेने वाला सिर्फ ईजाब का हक रखता है या क़बूल भी कर सकता है?

उत्तर: लड़की से निकाह की इजाजत लेने वाला उस के निकहा का वकील होता है लिहाजा वह ईजाब और क़बूल दोनों का हक रखता है मिसाल–

लड़का इजाजत लाने वाले से दो मुस्लिम गवाहों की मौजूदगी में कहे फुलां बिन्ते फुलां जिस से आप निकाह की इजाजत लाये हैं उस को मैं ने अपने निकाह में लिया क्या आप ने क़बूल किया? इजाजत लाने वाला लड़की का नाम लेकर कहे मैंने फुलां बिन्ते फुलां की तरफ से क़बूल किया तो यह निकाह भी सहीह होगा और इस के बर अक्स इजाजत लाने वाला वकील ईजाब के अलफाज़ कहे और दूल्हा क़बूल करे तो यह भी सहीह है आम तौर से यह रवाज है कि लड़की से निकाह की इजाजत लाने वाला मजलिस में किसी और को निकाह पढ़ाने के लिए वकील बना देता है यह भी सहीह है।

प्रश्न: जाहिदा का निकाह तारिक से तै हुआ दोनों अलग अलग गांव में रहते हैं दोनों ग़रीब घर के हैं मुकर्ररा तारीख़ पर जाहिदा की तरफ से तीन आदमी तारिक के घर गये कि निकाह पढ़वा दें वहां मजलिसे निकाह मुनअ़क़िद हुई काजी ने जाहिदा की तरफ से आये

हुए तीनों आदमियों से दरयाफ्त किया कि क्या आप लोग जाहिदा से निकाह की इजाजत ले कर आये हैं? तीनों ने जवाब दिया कि यह सब हम को मालूम नहीं था, हम लोगों ने जाहिदा से निकाह की इजाजत नहीं ली, काजी ने कहा अच्छा तो हम एक हजार रूपया महर पर जाहिदा का निकाह पढ़ाये देते हैं आप लोग यहां से जा कर जाहिदा को बता देना कि तुम्हारा निकाह एक हज़ार रूपया महर पर तारिक से पढ़वा दिया उस के बाद काजी ने निकहा पढ़ा दिया, वह तीनों लोग जाहिदा के घर वापस आये और जाहिदा से कहा कि तुम्हारा निकाह एक हजार रूपया महर पर तारिक से पढ़वा दिया। जाहिदा ने मंजूर कर लिया यह निकाह हुआ या नहीं?

उत्तर: जाहिदा ने निकाह पर रजामन्दी जाहिर कर दी इस लिए निकाह हो गया, किसी लड़की के निकाह के बाद उस को निकाह की इत्तिला दी जाये और वह मंजूर कर ले तो निकाह हो जाता है।

प्रश्न: तलाक इस्लामी शरअ़ में क्या गुनाह का काम और नफरत का काम है अगर ऐसा है तो ऐसी बीवी जिस का किरदार (आचरण) मशकूक (संदिग्ध) हो और उस के कराइन (अनुमानित चिन्ह) भी मौजूद हों तो क्या उस को तलाक दी जा सकती है या नहीं? ऐसी सूरत में भी तलाक़ देना क्या गुनाह का काम है?

उत्तर: इस्लामी शरीअ़त में तलाक़ बुन्यादी तौर पर ना पसन्दीदा अमल है, मजबूरी में उस की इजाज़त दी गई है अगर बीवी का आचरण संदिग्ध हो और उस पर अनुमानित चिन्ह भी मौजूद हों तो ऐसी सूरत में शौहर के लिए ऐसी औरत को तलाक देने की गुंजाइश है फिर भी अच्छी बात यही है कि उस को अपनी पत्नी की रूप में रख कर उस की इस्लाह की जाय, वाज व नसीहत और मुखतलिफ अन्दाज से उस को नेक बीवी बनाने की कोशिश की जाय लेकिन अगर यह कोशिशें रायगां हो जायें तो तलाक देना मुबाह (वैध) है हदीस में इस की सराहत (स्पष्टीकरण) मौजूद है।

(मजमउज़्ज़वाइदः 4/235)

प्रश्न: यदि बीवी के संदिग्ध आचरण पर स्पष्ट चिन्ह मौजूद न हों तो क्या महज शक की बुन्याद पर तलाक दी जा सकती है?

उत्तर: बीवी पर शक हो मगर स्पष्ट चिन्ह मौजूद न हों तो महज शक की बुन्याद पर तलाक देना गुनाह है इस सूरत में अगर शौहर बीवी को तलाक दे तो तलाक तो हो जायेगी लेकिन बे सबब औरत और उसके घर वालों को परेशानी में डालने की वजह से शौहर गुनहगार होगा।

(अलफिक्हुल इस्लामीः1/6879)

प्रश्न: मुहर्रमात (वर्जित बातों) से बचने और फराइज व वाजिबात की पाबन्दी करने में बीवी अगर शौहर की इताअत न करे और शौहर की बातों को पूरी तरह नज़र अन्दाज करे तो ऐसी सूरत में क्या तलाक़ दी जा सकती है?

उत्तर: फराइज व वाजिबात (दीन के अनिवार्य कामों) की अदायगी में अगर बीवी ला परवाह हो और मुहर्रमात से न बचती हो और इस बारे में शौहर की हिदायत पर अमल न करती हो बल्कि मुसलसल

नजर अन्दाज करती हो तो शौहर को हक हासिल है कि ऐसी बीवी को तलाक देदे फुक़हा ने लिखा है कि अगर औरत गुनाह की आदी हो तो शौहर पर वाजिब है कि वह बीवी को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके इस के बावजूद अगर औरत दीन न अपनाए तो शौहर को तलाक देने का हक हासिल है।

(अलफिक्हुल इस्लामीः 1/6880)

प्रश्नः अगर बीवी शौहर की इजाजत के बगैर मुलाज़मत (नौकरी) करे और शौहर के बार बार मना करने पर भी महज जिन्दगी के मेआर को बुलन्द करने के लिए मुलाजमत करे तो क्या ऐसी औरत को तलाक़ दी जा सकती है?

उत्तरः नान व नफ्क़ा (रोटी कपड़ा) आदि की पूरी जिम्मेदारी अगर शौहर अदा कर रहा हो फिर भी महज जिन्दगी के मेआर को बुलन्द करने के लिए औरत मुलाज़मत कर रही हो और उस मुलाज़मत के लिए शौहर की इजाजत न हो और औरत शौहर के मना करने की भी परवाह न करती हो तो ऐसी औरत को तलाक देना मुबाह है इसलिए कि मुलाज़मत के लिए औरत को घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी जिस के लिए शौहर राजी नहीं है और उस से शौहर के हुकूक़ पामाल (अधिकारों का हनन) होगा। जो शरीअत में गुनाह है इस लिए शौहर को तलाक की इजाजत होगी।

(पहले का हवाला)

प्रश्नः अगर औरत की शक्ल व सूरत बेहतर न हो या उसे अच्छे पकवान का सलीका न हो जिस की वजह से वह शौहर की निगाह में पसन्दीदा न हो और शौहर तलाक देना चाहता हो तो क्या इस्लामी शरीअत में ऐसी औरत को तलाक देने की इजाज़त है?

उत्तरः बीवी की शक्ल व सूरत अच्छी न हो या वह अच्छा पकवान न पका सकती हो तो इस बिना पर तलाक देना मना है और ना पसन्दीदा है। इस सूरत में तलाक देने से औरत को नुक्सान पहुंचेगा जिस को शरीअ़त के मुताबिक रोका जायेगा। बीवी की तरफ से अगर अच्छा सुलूक न हो या उस की शक्ल व सूरत पसन्दीदा न हो तब भी शौहर को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए अल्लाह तआला ने ऐसे मौक़े पर हुस्ने मुआशरत (भले तौर पर रहन सहन) के साथ जिन्दगी गुजारने का हुक्म दिया है। पवित्र कुर्आन में है, अनुवादः "और उन के साथ अच्छी तरह से जिन्दगी गुजारो, पस अगर वह तुम्हें ना पसन्द हों तो मुम्किन है जिस चीज़ को तुम ना पसन्द करते हो अल्लाह ने उस में बहुत भलाई रखी हो।

(अन्निसाः19)

अल्लामा कुरतबी रह0 ने इस आयत की तफ्सीर में लिखा है कि "बद सूरती या बद सलीकगी (कुरूपता अथवा कुशिष्टता) की वजह से बीवी ना पसन्द हो जब कि बीवी बुरे कामों से बचती हो और शौहर का हुक्म मानती हो तो सब्र व तहम्गुल से काम लो मुम्मिकन है कि अल्लाह तआ़ला उस में खैर पैदा कर दे मसलन उस से नेक औलाद पैदा कर दे"।

(अहकामुल कुर्आनः5/83)

महज बद सूरती को तलाक के लिए वजहे जवाज नहीं बनाना चाहिए, अल्लाह

के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस जानिब तवज्जुह दिलाते हुए फरमाया "औरतों से उन के हुस्न की बिना पर निकाह न करो मुम्किन है कि कहीं उन का हुस्न उन को तबाही में न डाल दे और न उन के माल की वजह से उन से निकाह करो, हो सकता है कहीं उन का माल उन को सरकशी पर आमादा न कर दे, बल्कि निकाह करो उन की दीनदारी की वजह से, नाक कान छिदी काली कलूटी बांदी जो दीनदार हो कहीं बेहतर होगी।"

(इब्ने माजाः 1/597)

यह और इस किस्म की दूसरी रिवायतों से यह मालूम होता है कि महज हुस्न व जमाल और माल दौलत देख कर औरत से निकाह न करना चाहिए बल्कि औरत की दीनदारी को चयन का कारण बनाना चाहिए और महज बद सूरती और बद सलीकगी को तलाक देने की बुन्याद नहीं बनाना चाहिए, वरना गुनाह और नुक्सान के सिवा कुछ हाथ न आयेगा।

❖❖❖

लौट पीछे की तरफ.....

मस्जिद के निर्माण के समय अपने हाथों से ईटें ढोने की सेवा करता था जब तक हम उस नबीये उम्मी के रंग में अपने को पूर्णतया रंग न लेंगे उस समय तक हम को वास्तविक सम्मान और उच्चता प्राप्त नहीं हो सकती।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी का उक्त नियम हम से मांग करता है कि हम अपनी जीवनी पर दृष्टि डालें और सोचें कि किस प्रकार मुसलमानों के हृदयों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ऐसा प्रेम और आप के अनुकरण की ऐसी भावना उत्पन्न हो जायेगी कि फिर वह न अपने मन की इच्छाओं के समक्ष झुक सकें न वह इस्लाम विरोधी दृष्टिकोणों के धोखे में आ सकें, इस के लिए हम को व्यवहारिक रूप से निम्नलिखित काम करने होंगेः—

1. समस्त मुसलमान साधारणता तथा विद्धान बुद्धिजीवी तथा धर्म प्रचारक मुसलमान मुख्य रूप से अपने जीवन चरित्र आजीविका उपार्जन तथा रहन सहन की पद्धति में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सम्पूर्ण अनुकरण करें यहां तक कि उन की जीवनियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पग चिन्हों पर हों।

2. समस्त मुसलमान, हर क्षेत्र के मुसलमान प्रति दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन चरित्र के अध्ययन के लिए कुछ समय अवश्य निकालें स्वयं अध्ययन करें अपने घर वालों को भी पढ़ कर सुनायें तथा प्रतिदिन जांचें कि सुन्नतों का अनुकरण हो रहा है या नहीं?

3. सभी इस्लामिक शासन वाले देश नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन चरित्र को स्कूलों, कालेजों, यूनिवर्सिटियों के अध्ययन के पाठ्यक्रमों के हर चरण में अनिवार्य करें।

4. सभी मुस्लिम बुद्धिजीवी अपने लेखों तथा प्रवचनों द्वारा सरल भाषा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन चरित्र को प्रकाशित तथा प्रसारित करें और पवित्र कुर्आन और नबी की सुन्नत में अर्थ परिवर्तन वाले नवीन इस्लाम विरोधी दृष्टिकोणों से मुसलमानों को बचायें। ◆◆◆

दयालुता

—मौलाना नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

एक और न्यायप्रिय तथा रहमदिल मुसलमान शासक की महानता देखते जाइये। जिनके बारे में पश्चिमी मीडिया ने बहुत गलत सलत लिखा है। यदि वह उनकी दिनचर्या का निष्पक्षता पूर्वक अध्ययन करे तो वास्तविकता कुछ और ही हो।

ख़ैर! उनके दौर में एक मां दुख से निढ़ाल हुई जा रही थी। एक–एक को पकड़ कर फरियाद करती और अपना दुखड़ा सुनाती।

ये सलीबी जंग के दौरान की बात है। जब ईसाईयों ने शाम (सीरिया) के क्षेत्रों पर आक्रमण कर के मुसलमानों पर जुल्म व सितम के वह पहाड़ तोड़े कि उस के जिक्र भर से तारीख थर्रा उठती है। बहरहाल! जब ईसाइयों ने यहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली और मुसलमानों पर लगातार अत्याचार करते रहे तो अल्लाह ने उन से छुटकारा दिलाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मैदान में उतारा।

उसी मैदान–ए–जंग का किस्सा है कि वह महिला जो दहाड़े मार–मार कर आसमान सर पर उठाए हुए थी, उसका एक बेटा खो गया था। वह उसे बेकरारी से ढूँढ रही थी। वह किसी ईसाई सैनिक की पत्नी थी। युद्ध के दौरान जो बन्दी मुसलमानों के हाथ लगे उसमें उसका लाडला बेटा भी था। हालांकि ये कोई अनोखी घटना नहीं थी। फिरंगी तो प्रतिदिन ही मुसलमानों को उठा ले जाते थे। लेकिन जब खुद पर मुसीबत आन पड़ती है तो दूसरों का दुख दिखाई पड़ता है।

वह महिला अपने एक एक फौजी कमाण्डरों के पास जाती और अपनी दुख भरी कहानी सुनाती। लेकिन उसके फौजी कमाण्डर उसे दिलासा नहीं दे पा रहे थे।

अतः उन सबको एक राह सूझी कि वह सलाहुद्दीन से बात करे, वही उस का उद्धार कर सकता है। वह महिला इस परामर्श से अवाक रह गई और बोली, वह तो हमारा कट्टर दुश्मन है। फौजी अफसरों ने कहा, है तो वह हमारा दुश्मन, लेकिन आदमी बड़ा रहम दिल है। तुम उसे परेशानी बताओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम्हें उल्टे पाँव लौटाएगा नहीं। वह महिला आशा–निराशा के साथ सलाहुद्दीन के पास पहुंची, सुल्तान सलाहुद्दीन ने देखा कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े के लिए परेशान है तो स्वयं व्याकुल हो उठे सेना में तलाश कराया। पता चला कि बच्चा पकड़ा गया था, बन्दियों के साथ–साथ उसे भी बेच दिया गया। सलाहुद्दीन ने उसे बुला भेजा जिस ने उस के बच्चे को खरीदा था। अपने पास से उसकी कीमत अदा की और स्वयं बच्चे को ले जा कर उसकी माँ की गोद में दे दिया। वह माँ सलाहुद्दीन को दुआएँ देते हुए निढ़ाल हुए जा रही थी और बच्चे को चूमे जा रही थी।

आज तो ऐसी घटना कल्पना सी लगती है। मगर इस्लाम ने अल्लाह के बन्दों के जो अधिकार हैं उसे कभी रौंदने का आदेश नहीं दिया।

शेष पृष्ठ .....36...पर..

उमैय्या खलीफ़ाओं के शासन काल में जनकल्याण के काम

--डॉ0 रिजवान अहमद

उमैय्या वंश के खलीफा बड़े शक्तिशाली, स्वाभिमानी और उच्च कोटि के शासक थे। उनहोंने अपनी कार्यकुशलता से अपने राज्य में हर प्रकार से उन्नति और खुशहाली का वातावरण पैदा कर दिया था। उनके शासनकाल में जनता खुश और खुशहाल थी। साथ ही राज्य के क्षेत्रफल में भी बड़ी वृद्धि हुई, इसके अतिरिक्त एक बात और उल्लेखनीय है कि अपने ऐशो–आराम के साथ उन्होंने जनता के आराम और उनके सुख–दुख का सदैव ख्याल रखा। प्रत्येक खलीफा ने अपने समय में जनता के लिए भी बहुत कार्य किये। उमैय्या खलीफाओं ने पूरे साम्राज्य में बहुत से मदरसे एवं पाठशालाएं खोलीं। चिकित्सालयों का निर्माण कराया, रोगियों के उपचार के लिए पूरा प्रबंध किया, व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया, गरीबों, गुसाफिरों के लिए बहुत सी सरायें बनवाईं, जिनमें इन निर्धनों, यात्रियों और असहायों को ठहरने के साथ–साथ मुफ्त खाने की भी व्यवस्था थी। ये खलीफा अपनी जनता के सच्चे हितैषी थे, ये लोग विभिन्न उपायों से प्रजा के दुखों और उनकी समस्याओं का पता लगाते और उसका निवारण भी करते थे।

उमैय्या शासन की स्थापना सन् 661 ई0 (41 हिजरी) में हुई और सन् 749 ई0 (132 हिजरी) में उनका पतन हुआ। प्रायः 90 वर्षों में फ्रांस और स्पेन की सीमाओं से ले कर भारत की सीमाओं तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। इतने विशाल साम्राज्य में उन्होंने सत्ता, शिक्षा, व्यापार, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में विकास एवं उन्नति के बड़े कार्य किए। अपने सुचारु प्रशासन, न्याय एवं समान व्यवहार से अपनी जनता को आत्म निर्भर बना दिया था। दीन–दुखियों एवं असहायों की मदद करना और हर प्रकार से उनके विषय में चिंचित रहने की शिक्षा इस्लाम ने अपने प्रारम्भिक चरणों से ही दी थी।

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी इस बात को बहुत प्रभावशाली और शक्तिपूर्ण ढंग से कही है। आपने एक हदीस में कहा कि "जो अपने भाई की मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है" और एक दूसरी हदीस में आप ने कहा "कोई व्यक्ति उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए वही पसन्द न करे जो अपने लिए पसन्द करे"। एक और प्रभावशाली हदीस है कि आप ने फरमाया कि "तुम ज़मीन वालों पर दया करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर दया करेगा"।

इन शिक्षाओं को अपनी दृष्टि में रखते हुए, हर उमवी ख़लीफा अपना यह कर्तव्य समझता था कि इस प्रथा

और परम्परा को आगे बढ़ाये, इतिहास हमें गवाही देता है कि उमैय्या खलीफाओं ने इस पर पूर्ण रूप से अमल कर के दिखा दिया था। उमैय्या वंश के संस्थापक हज़रत अमीर मुआविया जब खलीफा हुए, तो अपने पूर्वजों की इस प्रथा को विधिवत रूप से निभाया और अपने शासन काल में मुस्लिम, यहूदी, ईसाई के बीच भेदभाव न करते हुए सब को कई सरकारी ओहदों पर नियुक्त किया। उन्होंने इब्ने उसाल ईसाई को राजस्व विभाग में वसूली के ओहदों पर नियुक्त किया। और जॉन मंसूर रूमी को अपना विशेष सचिव बनाया।

अपने कल्याणकारी एवं जनहित के कार्यों के लिए खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ "सच्चे खलीफ़ा" की उपाधि से प्रसिद्ध हो गये थे। अरब इतिहासकार इनकी सच्चाई, तकवा, और इंसाफ के अतिरिक्त अपने निजी जीवन में किफायत और सादगी के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। ये जिम्मियों को दिये गये अधिकारों का बड़ा ख़्याल रखते थे। इनके लिए नर्म नीतियां अपनाई, पुराने समझौतों के अनुसार खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने ईसाईयों और यहूदियों को उनके गिरजा और कनीसा वापस कर दिये थे, इतिहासकार मसऊदी ने लिखा है कि खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक अपनी प्रजा को सदैव बुरी आदतों से दूर रखता था। शराब की क्रय–विक्रय और बलात्कार से उन को बचाने के लिए उस ने बड़े जतन किए थे।

वलीद प्रथम के विषय में उल्लेख किया जाता है कि उसने साधारण जनता के सुख और शान्ति के लिए इतने कार्य किए थे कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खुलफाए राशिदीन के अतिरिक्त उस की और कोई मिसाल किसी खलीफा के ज़माने में नहीं मिलती है।

वलीद द्वितीय का जीवन यद्यपि कि जेहालत और बेवकूफियों से भरा हुआ था। फिर भी इब्ने असीर लिखता है कि उसने शासन की तरफ से माजूरों, विकलांगों, अपाहिजों और निर्धनों के लिए रहने–सहने का बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया था। जैसा कि उपरोक्त पंक्तियों में लिखा जा चुका है कि वलीद प्रथम की कुछ उपलब्धियां खिलाफते राशिदा के समय से भी अधिक बढ़ी हुई हैं। उसके कल्याणकारी कार्यों की सूची बड़ी लम्बी है। अपने सत्तारूढ़ होने के वर्ष अर्थात सन् 88 हिजरी में सम्पूर्ण अरब साम्राज्य में उसने सड़कें बनवाईं, पुरानी सड़कों को ठीक कराया और सड़कों पर मील के पत्थर लगवाये (याकूबी इतिहासकार)। इसी प्रकार राज्य के तमाम रास्तों पर कुएं खुदवाये, नहरें जारी कराई, मुसाफिरों की सहूलत के लिए जगह–जगह अतिथि गृह बनवाये।

वलीद प्रथम से पहले इस्लामी राज्य में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए थे, परन्तु अब तक जन स्वास्थ सेवा और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ था। वलीद प्रथम ने सम्पूर्ण राज्य में अस्पतालों का निर्माण कराया (याकूबी इतिहासकार), वलीद की एक ऐसी गौरवपूर्ण उपलब्धी जिस पर कोई भी व्यक्ति गर्व

शेष पृष्ठ .....36...पर..

हृदय रोगों का उपचार

—डॉ0 आरती लालचंदानी

साइलेंट इस्कीमिया यानी बग़ैर लक्षण के जो हृदय रोग होता है वह बहुत कम मरीज़ों में होता है। उसका कारण अधिकतर डायबिटीज का मर्ज़ होता है। डायबिटीज के मरीज़ों में दर्द महसूस करने वाली नसें बेकार हो जाती हैं अतः गंभीर रोग होते हुए भी एंजाइना यानी सीने में दर्द प्रायः होता ही नहीं। ऐसे मरीज़ों में ब्लड शुगर—रक्त में शक्कर की मात्रा अत्यधिक होती है साथ ही अन्य बहुत से लक्षण डायबिटीज के होते हैं जो हृदय रोग के सूचक अवश्य पाये जाते हैं। वैसे भी डायबिटीज के मरीज़ों की नियमित हृदय की जांच अनिवार्य होती है। सभी डॉक्टर या फेमिली डॉक्टर भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित होते हैं जो ई0सी0जी0 (इकोकार्डियोग्राफी) के मरीज़ों का करवा ही लेते हैं।

जिन मरीज़ों में हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास है उन की भी हृदय की जांच 40 वर्ष की उम्र के बाद ज़रूरी है। क्योंकि लक्षण न होते हुए भी उनमें हृदय रोग की शुरुआत या साइलेंट इस्कीमिया हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में ही इस बीमारी का इलाज कराने से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ ही हृदय की धमनियों को बन्द होने से बचाया जा सकता है ताकि मरीज़ की आयु हृदय रोग से घटने न पाये।

जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर ऊँचा रहता है उन्हें भी हृदय रोग की संभावना अधिक होती है। अतः उन्हेंभी सतर्क रहना चाहिए। लक्षण का इन्तिज़ार नहीं करना चाहिए। फिर भी हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जिस में अधिकतर कुछ न कुछ लक्षण होते हैं। हृदय रोग के लक्षण अधिकतर असहनीय होने के कारण मरीज़ अवश्य निदान व इलाज चाहता है। इसके साथ ही क़रीब 60 प्रतिशत हार्ट अटैक के मरीज़ों में घबराहट का एक ऐसा लक्षण है जिससे डॉक्टर को भी यह अनुमान हो जाता है कि मामला गंभीर है। हार्ट अटैक होने से इतनी ज़ियादा घबराहट होती है कि मरीज़ को ऐसा एहसास होता है कि अब बचेंगे ही नहीं। मरीज़ अच्छी तरह पहचान लेता है कि यह हृदय का ही दर्द है। एक बार दिल का दौरा पड़ जाने पर करीब 15 मिनट के बाद बिल्कुल आराम हो जाता है। हृदय मांसपेशी का एक हिस्सा जब निर्जीव हो जाता है तब अधिकतर दर्द ग़ायब हो जाता है। यदि जटिलताएं न पैदा हों तो मरीज़ ठीक हो जाता है। उसे यदि फिर कोई तकलीफ़ नहीं है तो आमतौर पर उसे आप्रेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं।

क्या है एंजियोग्राफी?

हृदय रूपी पम्प मांसपेशी का बना होता है। इस के लगातार सुचारु रूप से कार्य करने के लिए रक्त आपूर्ति की आवश्यकता होती हैं यह इसे तीन मुख्य धमनियों द्वारा मिलता है— एक बाईं ओर की, दूसरी दाहिनी ओर की व तीसरी बगल की (सरकमफ्लेस) कोरोनरी आर्टरी।

एंजियोग्राफ़ी हृदय की धमनियों को देखने की तकनीक का नाम है। इस जांच में जांच वे पेट के जोड़ पर सुन्न करके धमनी में एक डाई (एक्स–रे में दिखने वाला पदार्थ) इंजेक्शन द्वारा डाला जाता है जो रक्त संचार से हृदय की धमनियों में चला जाता है, क्योंकि इसे कैथेटर द्वारा धमनियों के मुख तक डाल दिया जाता है। फिर एक्स–रे द्वारा इस डाई को देखा जाता है। ये डाई धमनियों को पूरी तरह दिखलाती है इससे पता चलता है कि कहां रुकावट, सिकुड़न, कमज़ोरी या घुमाव आदि है। जहां धमनी में रक्त संचार कोलेस्ट्राल के कारण रुका होता है वहां डाई में भी रुकावट साफ़ नज़र आती है।

यदि 2 या 2 से अधिक धमनियों में काफी अधिक रुकावट है या सिकुड़न है साथ ही मरीज़ को तकलीफ़ भी है तो दवाओं के अलावा धमनियों में रक्त का बहाव पुनः स्थापित करने के लिए कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट आपरेशन करवाना पड़ता है।

क्या होता है कोरोनरी एंजियोपलास्टीः–

कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वह तकनीक है जिससे बग़ैर अपरेशन अथवा चीर–फाड़ के केवल मोटी–मोटी सूईयों द्वारा महीन नलियां यानी कैथेटर हृदय के अन्दर धमनियों में डाल कर उन के सिर पर लगे गुब्बारे में बाहर से ही हवा भर कर फुला फुला कर धमनियों के अन्दर का रास्ता चौड़ा किया जाता है तथा अन्दर चिकनाई व कोलेस्ट्राल के गोले को महीन टुकड़ों में तोड़ कर बहा दिया जाता है यह तकनीक कोरोनरी एंजियोग्राफ़ी की तरह ही सरल होती है।

इस तकनीक से ये परेशानी कीभी–कभी हो सकती है कि खुली हुई धमनी फिर से चिपक जाती है व 3 महीने के भीतर ही अक्सर फिर रुकावट हो जाती है। अतः आजकल स्टेंट यानी तम्बू लगा दिये जाते हैं ताकि ये खोली हुई धमनी चिपके न। ये स्टेंट या तम्बू भी कैथेटर के ज़रिये धमनी के अन्दर पहुंचा कर खोल दिया जाता है, जिससे ये खड़ा हो जाता है जो धमनी को चिपकने नहीं देता। ये एक से अधिक स्थान पर रुकावट होने में एक से अधिक मात्रा में यानी जगह जगह लगाना पड़ सकता है।

स्टेंट इम्पलांटेशनः–

यह बग़ैर आपरेशन ही हृदय की धमनियों को खोल कर उन्हें इसी अवस्था में खुला रख कर हृदय की मांसपेशी को सुरक्षित रखने का एक आसान तरीक़ा है। यह एक नई आधुनिक तकनीक है।

क्या है अथैरैक्टमीः–

यह भी हृदय की धमनी को खोलने का एक तरीक़ा है। इस तकनीक में एक लंबे कैथेटर पर हीरे का टुकड़ा चढ़ा कर उसे एक मोटर के सहारे 180 हज़ार आर0पी0एम0 पर घुमाया जाता है। जिससे कोलेस्ट्रोल के गोले अति सूक्ष्म टुकड़ों में टूट कर खून के प्रवाह के साथ बह जाते हैं हीरे की जगह इसकी नोक पर कोई धारदार कटर या चाक़म भी लगाया जा सकता है। इसे आगे–पीछे, दाएं–बाएं कर के धमनी के अन्दर फंसा (ऐथरोमा का गोला खोला जा सकता है)। यह तकनीक लाभकारी न होने के कारण प्रचलित नहीं है।

क्या होता है कोरेनरी आर्टरी बाईपास ऑपरेशनः-

यह एक बड़ा आपरेशन होता है जिस में सीने की हड्डियों को काट कर खोला जाता है फिर हृदय को खोल कर उसकी धमनियों में जहां –जहां रुकावट होती है उसे शरीर के अन्य स्थानों से धमनियों को ले कर जोड़ कर बाईपास किया जाता है। ये धमनी पैर या सीने के ही अन्दर से निकाल कर लगायी जाती हैं डायबिटीज के मरीज़ों में यह आपरेशन कम ही सफल हो पाता है, क्योंकि डायबिटीज में अधिकांश धमनियों में बीमारी होती है। हृदय रोग का नाम सुन कर घबराना नहीं चाहिए। इस बीमारी को नियंत्रण में रखने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह से दवा लेते रहना चाहिए। ◆◇◆

दयालुता .....

शौर्यता और वीरता बहुत अच्छी चीज है लेकिन उस में निखार तभी आएगा जब उस में मानवीय पहलू का पूरा ध्यान रखा जाये। अन्यथा ऐसे लोगों को हत्यारा और लुटेरा के अतिरिक्त कोई और नाम नहीं दिया जा सकता।

❖❖❖

उमैय्या खलीफाओं .....

कर सकता है वह यह है कि उस ने पूरे देश के असहायों, अपाहिजों और निर्धनों के लिए बेरोज़गारी भत्ता रोजीना के रूप में निर्धारित किया था। इसी के साथ उन गरीबों को भीख मांगने से रोक दिया था। उसने अन्धों और अपाहिजों की सेवा के लिए सेवक नियुक्त किये थे। यह ऐसी उपलब्धी है जिस से आज की आधुनिक काल की सरकारें भी वंचित हैं। उस ने अनाथों की देख भाल और उनकी शिक्षा–दीक्षा का पूरा प्रबन्ध किया था।

वलीद बाज़ारों के मनमाने रेट और भाव को नियंत्रित करने के लिए स्वयं बाज़ारों में जा कर रेट मालूम करता और उचित रेट को लागू करने का आदेश देता। शिक्षा विशेष कर कुर्आन की सुचारु शिक्षा से उसकी बड़ी रुचि थी, वह सदैव लोगों को पढ़ने की तरफ उभारता रहता था। कुर्आन को हिफ्ज़ अर्थात ज़बानी याद कर के पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देता और पढ़ने से लापरवाही करने वाले को सजा भी देता था (तबरी)। दिल लगा कर शिक्षा की सेवा करने और पठन पाठन के कार्य में सुविधाएं और निरन्तरता बनाये रखने के लिए उसने विद्वानों, आलिमों, हाफिज़ों की मासिक तनख्वाहें मुकर्रर कर दी थीं।

जन कल्याण के क्षेत्र में उमैय्या खलीफाओं की उपलब्धियों का सारांश वर्णन हमारे सामने है। इस से सिद्ध होता है कि उमैय्या खलीफाओं ने अपने शासन काल में अरब जनता को एक शान्तिपूर्ण, विकास एवं उन्नति से परिपूर्ण एक साम्राज्य और जरूरतमन्दों, निर्धनों, असहायों के लिए एक मानवता वादी नीति उपलब्ध कराई जिसके आधार पर अरब जगत उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सका और जिसकी आधार शिला पर बाद के दिनों में अब्बासी खलीफाओं ने अपने सफल एवं भव्यशाली साम्राज्य की स्थापना की और आने वाले संसार को एक सम्पन्न देश और एक शक्तिशाली विद्वत पूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता प्रदान की।

❖❖❖

पाश्चात्य मीडिया और मुसलमान

—मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

पाश्चात्य मीडिया और इस्लाम विरोधी लिट्रेचर के अध्ययन से इस्लाम तथा मुसलमानों के भविष्य के विषय में संशय होना स्वाभाविक है पश्चिमी देशों का इस्लाम और मुसलमानों से व्यवहार के विषय में उन्माद की दशा ग्रहण करता जा रहा है। कुछ लोग उस को इस्लामोफूबिया का नाम देते हैं तो कुछ लोग उसे हिस्टीरियायी दौरा कहते हैं परिस्थति यह है कि मुस्लिम नवयुवकों के विरुद्ध आतंकवाद के आरोप में या इस्लामिक आन्दोलन से सम्बन्ध रखने के आधार पर स्वयं मुस्लिम देशों में कठोर कार्यवाहियां की जा रही हैं और मीडिया का सहारा ले कर सुब्ह, शाम ऐसे दृश्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिन से मुसलमानों के विषय में भ्रम उत्पन्न हो और मुसलमान मूर्ख तथा असभ्य कौम के रूप में संसार के सामने आएं मानो एक ही फिल्म है जो बराबर दिखाई जा रही है और उसके द्वारा पराजयता तथा निराशा के आभास पैदा करने की एक योजनाबद्ध चेष्ठा की जा रही है जिसके प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। उन दृश्यों को देख कर और उन सूचनाओं को पढ़ कर हर ईमान वाले के मन में एक प्रकार की निराशा का आभास पैदा होता है और मन बैठने लगता है। परन्तु आशा तथा प्रसन्नता की बात यह है कि इन सब कष्टदायक, निराशाजनक तथा साहस तोड़ने वाली सूचनाओं के साथ अधिकतर ऐसी सूचनाएं भी प्रकाशित हो रही हैं और ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं जो इस पराजय में छुपी विजय की ओर संकेत कर रही हैं तथा निराशा को आशा में कष्ट को आनन्द में और दुख को सुख में परिवर्तित कर रही हैं।

अब अल्लाह वाले साहसी नव युवकों के अनथक प्रयास रंग ला रहे हैं और उन की चेष्टाओं के परिणाम सामने आ रहे हैं। वह दीन जिस पर उच्च प्रतिष्ठा के लिए धन मन के भेंट प्रस्तुत किये गये वह दीन अब प्रभुत्वशाली होता दिख रहा है। और उस का क्षेत्र तेजी से फैल रहा है यह कोई स्वप्न नहीं, अभीलाषाओं अथवा मनोरथों का प्रकटीकरण नहीं अपितु वह वास्तविकताएं तथा वास्तविक घटनाएं हैं जिन से पूरा यूरोप व्याकुल तथा चिन्तित है। इसलिए कि वह उन वास्तविकताओं और घटनाओं के प्रकाश में अपनी सीमाओं को सिमटते जनसंख्या को घटते, वंशज को अप्राप्त होते अपने ही लोगों को विद्रोह पर तत्पर होते और इस्लाम की ओर प्रेम तथा आस्था के साथ कदम बढ़ाते देख रहा है।

फ्रांस के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में इस्लाम स्वीकार करने वालों का वार्षिक अनुपात 3600 है गृह मंत्रालय का यह भी कहना है कि यह फ्रांसीसी नव मुस्लिम नमाज़, रोज़े की पाबन्दी के साथ मदिरा पान तथा दूसरी मादक वस्तुओं से दूर रहते हैं और देश के विधान को पूर्णतया अपनाते हैं।

ब्रिटेन के गृहमंत्रालय ने मुसलमानों के विषय में बयान देते हुए कहा कि 2001

में बरतानिया में मुसलमानों की संख्या सोलह लाख थी जो अब बढ़ कर बीस लाख हो चुकी है। केवल बरतानिया में चार लाख मसुलानों की बढ़ोत्तरी हुई है।

लातीनी अमरीका में इस्लाम स्वीकार करने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है। ब्राजील में मुसलमान अस्सी लाख से अधिक हैं यूरोप की अपमान जनक बातों और अज्ञानता पर आधारित आलेखों ने इस्लाम का अध्ययन करने और उसकी वास्तविकता समझने में बड़ा योगदान दिया है और यही अध्ययन उन के इस्लाम स्वीकार करने का कारण बन रहा है।

बरतानिया में जल्द ही किये गये एक सर्वे के अनुसार यह बात सामने आई है कि जुमे के दिन मस्जिद में आने वाले मुसलमानों की संख्या, इतवार को कैथोलिक चर्चों में कैथोलिक ईसाइयों से कहीं अधिक होती है। आश्चर्य की बात यह है कि बरतानिया में बन्द होने वाले चर्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। बन्द होने वाले चर्चों का वार्षिक अनुपात 60 तक पहुंच गया है, बरतानिया ही में 1000 चर्च ऐसे हैं जिन में इतवार को आने वालों की संख्या दस से अधिक नहीं होती है। एक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है कि यदि इस वक्त एक हजार चर्चों में आने वालों की संख्या इसी प्रकार घटती रही तो शंका है कि यह चर्च भी बन्द हो जायेंगे। जब कि मुसलमानों के विषय में रिपोर्ट का अनुमान है कि आगे कुछ वर्षों में मस्जिद में आने वाले मुसलमानों की संख्या दो गुनी हो जायेगी। रिपोर्ट में इस बात पर भी खेद प्रकट किया गया है कि जनसंख्या के फार्मों में ईसाई धर्म लिखने वालों की संख्या जो पहले 72 प्रतिशत थी अब घट कर 35 प्रतिशत हो गई है। ईसाई नव युवकों का अपने ईसाई धर्म से अप्रसन्नता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि चर्चों में आने वालों की मध्य आयु 64 वर्ष है। जब कि मस्जदों में नमाज़ के लिए आने वाले अधिकतर नव युवक होते हैं।

डेन्मार्क जिस ने इस्लाम शत्रुता की सारी सीमाएं तोड़ दीं स्वयं ईसाई धर्म का बलि स्थल बना हुआ है। चर्चों को बेचा जाना वहां साधारण बात है। कुछ ईसाइयों का यह कहना है कि यह चर्च यदि न बेचे गये तो खाली रहने के कारण यह शैतानों, जिन्नातों, भूतों और अपराधियों के अड्डे बन जाएंगे अतः इन को बेच देना ही अच्छा है।

डेन्मार्क चर्च कमेटी के कथनानुसार चर्चों में 82 प्रतिशत लोगों का पंजीकरण है परन्तु उपस्थिति केवल 8 प्रतिशत है। कमेटी की ओर से उन चर्चों के विषय में यह बात भी परस्तुत की गई है कि अगर इन चर्चों में उपासना नहीं की जा रही है तो उन को अस्तबल बना दिया जाए या म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया जाए या फिर उन को फिल्म हाल बना दिया जाए परन्तु उन को मुसलमानों के हाथ न बेचा जाए इसलिए कि इससे चर्चों का अपमान होगा।

दूसरी ओर यूरोप के सामने एक और महत्वपूर्ण समस्या है जिस के कारण वह अपने भविष्य के विषय में शंकाओं में घिरा हुआ है और वह समस्या है बच्चों के जन्म के अनुपात में कमी की। यूरोप में बूढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है और बच्चों की संख्या घट रही है। जब कि यूरोप में रहने वाले मुसलमानों में बच्चों के जन्म लेने का अनुपात अपनी जगह पर है।

एक तीसरी समस्या जो यूरोप के लिए चिन्ता का कारण है वह यह है कि कारोबार की खोज में या इस्लामी देशों की दशा खराब होने के कारण बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त मुस्लिम नव युवकों की बड़ी संख्या पलायन कर के यूरोप आ रही है। यूरोप की परेशानी इस कारण और बढ़ जाती है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमानों को इस्लामी देशों में नहीं रहने देना चाहता है।

इस लिए कि उन शिक्षित मुसलमानों से उन इस्लामी देशों को शक्ति मिलेगी, साइंस और टेक्नालोजी के मैदान में उन्नति के मार्ग खुलेंगे और वह स्वालम्बी हो कर संसार के मानचित्र पर उभरेंगे। अतएव यूरोप ऐसे योग्य मुसलमानों को अपने यहां बुला कर उन से लाभ उठाना चाहता है या फिर उन को निर्वासनीय जीवन बिताने पर विवश कर के उन को मुस्लिम देशों के लिए अप्रभाव कारी बना देना चाहता है।

अब देखना यह है कि यूरोप इन तीनों समस्याओं से कैसे निपटता है।

(1) मुसलमानों में बच्चों के जन्म के अनुपात में कमी लाना।

(2) इस्लामी देशों से मुस्लिम नव युवकों के आगमन को रोकना।

(3) इस्लाम स्वीकार करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाना।

प्रत्यक्ष में इस समय यूरोप के जो हालात हैं और यूरोप इन समस्याओं के समाधान में जिस प्रकार विफल है उस से ईसाई जगत के मुस्लिम जगत में प्रवर्तित होने की सम्भावना दिख रही है और यह बात निःसन्देह प्रसन्नता की बात है। पवित्र कुर्आन की यह आयत इस समय की परिस्थिति के अनुकूल है। अनुवादः *"हो सकता है कि जो चीज तुम को अप्रिय है वही तुम्हारे लिए भली हो" (अलबकराः 216)*

एक बात यह भी ज्ञात रहे कि यूरोप के लोगों के मस्तिष्क में खोज है वह वास्तविकता को जानना और समस्या को समझना चाहते हैं। पुस्तकें खरीदते और पढ़ते हैं तथा शुद्ध परिणामों को समझ कर अपने जीवन से संबन्धित निर्णायक निर्णय लेते हैं। अपमान जनक कारटूनों तथा इस्लाम शत्रुता वाली फिल्मों के आने के पश्चात इस्लाम से संबंधित पुस्तकों की खरीदारी एक अनुपम उदाहरण है जो इस का खुला प्रमाण है।

❖❖❖

सच्चा राही सोलहवें .....

लगाना ग़लत समझते हैं साकिन (गतिहीन) अक्षरों को हम या तो आधा लिखते हैं या उसके नीचे हलन्त लगाते हैं।

याद रहे कि उर्दू में गतिशील (मुतहर्रिक) अक्षर से पहले पूरा अक्षर भी साकिन पढ़ा जाता है जैसे चरवाहा, चलनी, हलवा, हमज़ा आदि इन उर्दू शब्दों को हम इस प्राकर भी लिख सकते हैं हल्वा, हम्ज़ा आदि मात्रा रहित चार अक्षरों वाले शब्द का दूसरा अक्षर प्रायः साकिन (गतिहीन) होता है जैसे बरतन, कतरन इसलिए उर्दू के ऐसे शब्दों को हम पूरे अक्षरों से लिखते हैं जैसे हज़रत, हसरत आदि उर्दू लेखों में फारसी तरकीबें भी आती हैं उनके लिखने की विधि हम सच्चा राही के फरवरी 2015 के अंक में विस्तार से लिख चुके हैं।

❖❖❖

उर्दू सीखये

—इदारा

हिन्दी जुम्लों की मदद से उर्दू जुम्ले पढये।

अल्लाह तआला हर हाल में हम को देख रहा है।

اللہ تعالی ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے۔

हमारे भले कामों से वह हम से ख़ुश होगा और इनआम देगा।

ہمارے بھلے کاموں سے وہ ہم سے خوش ہوگا اور انعام دے گا۔

हमारे बुरे कामों से वह हम से नाराज़ होगा और सज़ा देगा।

ہمارے برے کاموں سے وہ ہم سے ناراض ہوگا اور سزا دے گا۔

दीने इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ दीन है।

دینِ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔

झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है।

جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔

रिशवत लेने देने वालों को जहन्नम की सजा मिलेगी।

رشوت لینے دینے والوں کو جہنم کی سزا ملے گی۔

इस्लाम में मुनश्शियात का इस्तेमाल हराम है

اسلام میں منشیات کا استعمال حرام ہے۔

इस्लाम में शराब पीना हराम है।

اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔

इस्लाम में बलात्कारी के लिए बड़ी सख़्त सज़ा है।

اسلام میں زانی کے لیئے بڑی سخت سزا ہے۔

किसी की बहन बेटी पर बुरी निगाह डालना इस्लाम में बड़ा गुनाह है।

کسی کی بہن بیٹی پر بری نگاہ ڈالنا اسلام میں بڑا گناہ ہے۔